वन्य जीव

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	No.F 3 (5)(8)Rev/Gr.VIII/72	18.6.1983	वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 54 में प्राप्त शक्तियाँ	165
2.	No. F. 3 (5)(8)Rev. VIII/72	18.6.1983	वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियाँ	166
3.	प011(58)राज-8/88(वन)	22.8.88	राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर को पर्यटकों के लिए वर्षा ऋतु में बन्द रखने बाबत्।	167
4.	एफ3(ज)तक./परि/ मुवजीप्र / 93-94/636	31.1.1994	वन्य जीव क्षेत्र में जल स्त्रोत निर्माण हेतु निर्देश।	167
5.	एफ3(ज)परिपत्र/तक./ मुवजीप्र/94-95 /744	2.2.1995	ऐड़ा प्रथा रोकने के क्रम में।	167
6.	प.11(27)वन/91 पृष्ठांकन एफ24(4)94/वसु/ प्रमुवसं/नीलगाय/11129-1613	19.1.1996 29.2.1996	मवअ/उवसं/उमुवजीप्र जैसलमेर/ बीकानेर तथा निम्नांकित प्रादेशिक (टैरीटोरियल) रेंजरों को प्राधिकृत करने बाबत् अधिसूचना।	168
7.	एफ3(ज)परिपत्र/तक./ मुवजीप्र /94-95/15578	30.12.1996	ऐड़ा प्रथा रोकने के क्रम में।	169
8.	3-9/94 WII/WM/ एफ3(ज)तक./मुवजीप्र/97/ 545-600	9.1.1997 27.1.1997	Releasing of Trapped Panther in Natural Habitates.	170
9.	प011(27)वन/97	26.4.1997	निम्नांकित जिलों के प्रादेशिक रेंजरों को नीलगाय मारने के लिये प्राधिकृत किया जाता है की अधिसूचना।	171
10.	F.11(35)Forest/97	7.8.1997	सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य में मेला अवधि में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति बाबत्।	171
11.	फा.सं.9-9/97.ए. डब्ल्यू. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	14.10.1998	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा।	172

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
12.	एफ3(465)तक./मुवजीप्र /97/ 15060	10.11.1998	उमुवजीप्र/उप वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक/ उप निदेशक को राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्य में 15 कि.मी. तक की परिधि में जंगली सूअरों को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत करने बाबत्।	173
13.	D.O. letter 98-NFA/MOEF No. 8130-8280 dated	21.11.1998	Incident of black bug poaching in Jodhpur case landmark judgement of Kerala High Court Interpretation of Section 25 of Indian Evidence Act regarding.	173
14.	एफ3(ग)तक/मुवजीप्र/99/2411	15.2.99	वन्य जीव प्रकरणों में एफ.आर. लगाने की प्रक्रिया।	177
15.	एफ3(ग)तकनीकी/ मुवजीप्र/98-99/2772	22.2.1999	अभ्यारण्यों/उद्यानों में औजार का ले जाना निषेध।	179
16.	प011(5)वन/98	4.3.1999	पदेन वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त करने बाबत्।	180
17.	F/CWLW/99/Tech/4962	5.4.1999	वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 28 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य में फिल्म निर्माण की अनुमति बाबत्।	180
18.	No.1-2/95/WL-I AIG/(WL) MOEF, New Delhi F ()Tech/CWLW/ 9887-9903	7.6.1999 20.7.1999	Confiscation of vehicles used for Committing an offence.	181
19.	F.3(Gha)Tech./CWLW/98/10896	6.8.99	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य में 10 कि.मी. की परिधि में आर्म्स लाईसेंस देने बाबत्।	183
20.	F.11(88)Forest/89	13.8.1999	वन्य जीव (सुरक्षा) राजस्थान अधिनियम 1977 में संशोधन बाबत।	184
21.	एफ3(ग)तकनीकी/मुवजीप्र/99/11545	21-8-1999	राज्य के समस्त राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/ जन्तुआलयों में पोलीथीन/ प्लास्टिक के उपयोग पर रोक बाबत्।	185

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
22.	एफ3(434)तक/ पार्ट-II/मुवजीप्र/99/14148	23.10.1999	मवअ/उवसं को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 42 के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत करने बाबत्।	185
23.	एफ 3/ग/तक/मुवजीप्र/99	12.11.1999	अवैध शिकार की घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन/पुलिस के अधिकारियों को सूचित कर वांछित कार्यवाही बाबत्।	187
24.	प011(10)वन/98 जयपुर	18.2.2000	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा जिला कलेक्टर्स को लाल मुँह बन्दर एवं हनुमान बन्दर के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने बाबत्।	188
25.	एफ3 (490)तक/ मुवजीप्र/ 99/358-410	21.2.2000	बन्दर पकड़ने के संबंध में।	188
26.	एफ3() परिपत्र/तक/ मुवजीप्र/92-93/2003	28.3.2000	जब्त वाहन/हथियार नहीं लौटाने के क्रम में	189
27.	F ()CWLW/Tech./2000/ 2266-84	31.3.2000	Entry of concerned MP/MLA's in wildlife sanctuaries.	189
28.	एफ3()तकनीकी/ मुवजीप्र/ 2000/2858-2918	21.4.2000	वन्य जीव अपराध दर्ज करते समय संबंधित वन्य प्राणी का सही एवं पूर्ण प्रजाति नाम अंकित करने हेतु।	190
29.	एफ1()अपराध/ मुवजीप्र/ 99-00/7252	21.7.2000	वन्य जीवों की प्राकृतिक मृत्यु पर कार्यवाही बाबत्।	191
30.	एफ11(27)वन/91	31.8.2000	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (सन् 1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, पुलिस, सहायक वन संरक्षक आदि को नीलगाय के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करती है।	191

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
31.	एफ3(ग)तक./मुवजीप्र/ अपराध / 99/3026	14.3.2001	राजस्थान में कीटनाशक उपचारित बीजों की बुवाई से मोरों के मरने के संबंध में।	192
32.	एफ3(ग) परिपत्र/ तक.व.जी./मुवजीप्र/92-93/5803	24.9.2002	वन्य प्राणियों के दाह संस्कार बाबत्।	193
33.	F.11(14)Forest/01, Jaipur	26.12.2002	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में मेसनरी गतिविधियां।	193
34.	D.O.1-6/2003-PT	20.2.2003	शिकार की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सूचना प्रेषण बाबत्।	195
35.	एफ()2003/कार्मिक/ प्रमुवसं/ 211	17.4.2003	जन्तुआलयों के पशु-पक्षियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।	196
36.	एफ3(95)तक/मुवजीप्र/04/12836	2.12.2004	राष्ट्रीय पक्षी मोर का बचाव।	196
37.	एफ3(456)परिपत्र/ मुवजीप्र/92-93/13497	15.2.2005	अवैध शिकार हेतु क्राइम ब्रांच (पुलिस वन्य जीव प्रभाग) की मदद लेने बाबत्।	197
38.	एफ3(456)तक/मुवजीप्र/05/ 13838	10.3.2005	अवैध शिकार रोकने हेतु निर्देश।	198
39.	एफ3(27)परिपत्र/तक/मुवजीप्र/98/1	2.5.2005	प्रदेश में वन्य जीव अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हेतु डी.एन.ए. परीक्षण सुविधा डब्ल्यू.आई.आई. देहरादून में उपलब्ध।	198
40.	एफ3 (456)तक/मुवजीप्र/05	2.6.2005	अवैध शिकार हेतु गश्त व प्रगति प्रतिवेदन।	199
41.	एफ3(38)तक/मुवजीप्र/2000/828	28.6.2005	वर्षाकाल (माह जुलाई से सितम्बर) में बाघ परियोजना-सरिस्का को पर्यटकों के लिए पूर्णतः बन्द रखने बाबत्।	200
42.	एफ24(2)93/पार्ट-8/ वसु/प्रमुवसं /6829-6979	14.7.2005	अवैध शिकार की रोकथाम हेतु नियमित गश्त।	200
43.	प011(1)वन/78	25.7.2005	वन्य जीवों द्वारा जनहानि पर मुआवजा	201
44.	प03(2)वन/2004 जयपुर	28.7.2005	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने बाबत्।	203

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
45.	एफ3(433)तक/मुवजीप्र/2005	18.10.2005	समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक/ सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रयोजनार्थ पदेन वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त करने बाबत्।	203
46.	प0( )2006/वसु/प्रमुवसं/ 1489	21.2.2006	बर्ड फ्लू संक्रमण के बचाव हेतु एहतियात बरतने बाबत्।	204
47.	एफ3(17)तक/ मुवजीप्र/2006 /2203-05	22.6.2006	वन/वन्य जीव अभ्यारण्यों में गिरफ्तार/ प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त मुल्जिमों की समुचित निगरानी रखे जाने बाबत्।	204
48.	एफ.2( )कार्मिक-राज /2005 /प्रमुवसं /5333	4.11.2006	कतिपय स्थानों पर प्रादेशिक वन अधिकारियों के वन्य जीव संबंधी दायित्व।	205
49.	एफ3 (456)तक/मुवजीप्र/ 06/1825	2.1.2007	अवैध शिकार की सूचना अविलम्ब देने बाबत्।	206
50.	एफ3(140) तक-1/ मुवजीप्र /06/4209-279	3.5.2007	वन्य जीव फोरेन्सिक प्रयोगशाला, राजस्थान पुलिस अकादमी, शास्त्रीनगर, जयपुर में तैयार।	206
51.	प011(1)वन/78 जयपुर	23.6.2007	वन्य जीवों से जन हानि पर मुआवजा देने के अधिकार।	207
52.	XPR/1213/325/2006	25.6.2007	Streamlining clearance procedure for documentary films by foreign audio-visual agencies.	207
53.	DIG(WL)MOEF 1-9/2001 WL-I	26.10.2007	Order of Hon'ble Supreme Court dated 14th September, 2007 in I.A. No. 1220 in I.A. 548 in Writ Petition (Civil) No. 202/95	210
54.	एफ3(580)तक-1/मुवजीप्र/07/5620	1.12.2007	क्लोजर ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर ड्यूरिंग समर (मई व जून वर्ष 2008-09) के संबंध में।	211

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
55.	एफ( )प्रमुवसं/63/सी	27.3.2008	वन एवं वन्य जीवों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरणों की सूचना तुरन्त भिजवाने बाबत्।	212
56.	परिपत्र क्रमांक एफ( ) प्रमुवसं/ 9484-9624	15.9.2008	कन्जरवेशन रिजर्व/कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	212
57.	—	—	अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक के कर्तव्य	213

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP VIII) DEPARTMENT
No.F3(5)(8)Rev/Gr.VIII/72

Jaipur, Dated 18.6.83

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 54 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972) and in supersession of this Department Notification No. F.3(5)(8) Rev./Gr. Viii/72 dated 20.3.1974, the State Government hereby empowers the following officers to exercise the powers under Section 54 of the said Act to the extent indicated against each of them, within their respective territorial jurisdiction, namely :

Designation of Officer	Extent of composition fees to be charged if the offence is proposed to be compounded
Chief Conservator of Forest/ Chief Wild Life Warden/ Add. Chief Conservators of Forests/ Conservators of Forests/ Dy. Conservators of Forests/ Addl. Dy. Chief Wild Life Warden/Field Directors (Project Tiger)	Offences involving animals specified in Schedule (IV) (Small game) 1st Offence : Market value of meat or trophy, plus equal amount, or Rs. 100/- per animal or bird involved, whichever is higher, as penalty. In addition, an amount equal to the penalty shall be charged for the release of any vehicle involved in the offence. 2nd Offence : Market value of the meat or trophy, plus penalty equal to twice the market value of the meat or Rs. 200/- per animal or bird involved, whichever is higher. In addition, an amount equal to the penalty shall be charged for the release of any vehicle involved in the offence. The Third and subsequent offences shall not be compounded save with the prior written approval of the Chief Wild Life Warden but prosecuted. Offences involving animals of Schedules II and III (excluding Part II of Schedule II) 1st Offence : Market value of meat or trophy, plus equal amount or Rs. 1000/- per animal involved, whichever is higher, as penalty. In addition, an amount equal to the penalty shall be charged for the release of any vehicle involved in the offence. 2nd Offence : Market value of the meat or trophy, plus penalty equal to twice the market value of the meat or Rs. 2000/- per animal involved, whichever is higher. In addition, an amount equal to the penalty shall be charged for the release of any vehicle involved in the offence. The third and subsequent offences shall not to be compounded save with the prior written approval of the Chief Wild Life Warden but prosecuted.

Explanation : The value of meat shall include the market value of the skin, horns and other saleable parts of the animals, carcass, in addition to the meat, in all the above cases.

By Order
(Anand Mohal Lal)
Secretary to the Government,
Revenue & Forests Deptts.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE GROUP VIII DEPARTMENT
No. F.(5)(8)Rev. VIII/72

Dated : 18.6.1983

NOTIFICATION

In exercise of the powers confered by Sub-section (3) of Section 9 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972), the State Government hereby appoints the following officers as Authorised Officers for purposes of the exercise of powers under the sections of the said Act noted against each, within their respective territorial jurisdictions, namely :-

Designation of Officers	Sections for purposes of which appointed as Authorised Officers
1. Chief Conservator of Forests and all Additional Chief Conservator of Forests and Conservator of Forests	31, 39 (3), 50 (6) (a)
2. Conservator of Forests (Wild Life)	9(3), 10(2), 10(3), 11(1) (b), 13, 31, 36(2), 39(3), 43, 44, 45, 50(6) (a)
3. Deputy Chief Wild Life Wardens	29(2) (c), 31, 34(1), 50(6) (1)
4. Divisional Forest Officers / Deputy Conservators of Forests	9(3), 10(2), 10(3), 39(2), 39 (3), 50(6) (a)
5. Field Directors, Project Tiger	27(2) (c), 31, 34(1), 39(3), 50(6)(a)
6. Asstt. Conservator of Forests incharge of sanctuaries and Wild Life Wardens	27(2) (c), 31, 34 (1), 39(3), 50(6) (a)
7. Forests Rangers	39(2), 39(3)

By Order of the Governor
(A.M.Lal)
Secretary to the Government

राजस्थान सरकार, राजस्व (वन विभाग) का पत्र प्रेषित : मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर राजस्थान क्रमांकः प011(53)राज-8/88 जयपुर, दिनांक 22.8.88

विषय :- राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर को पर्यटकों के लिए वर्षा ऋतु में बन्द रखने बाबत्।

सन्दर्भ : आपका अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांकः एफ3( )संरक्षण/सम/87-88/6902 दिनांक 2.7.88 जो शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान को सम्बोधित है।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि आपके प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर को इस वर्ष 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 1988 तक व आने वाले वर्षों में एक जुलाई से 30 सितम्बर तक पर्यटकों के लिए बन्द रखने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
(एस.एस.वर्मा)
उप शासन सचिव, वन

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांकः एफ3(ज) तक./परि/मुवजीप्र/93-94/636 दिनांक 31.1.1994

प्रायः यह देखने में आया है कि सीमेंट के हौद सिंचाई तथा पानी संग्रह हेतु वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में तथा किसानों द्वारा कृषि क्षेत्रों में बनाये जाते हैं। सन्दूकनुमा हौदों की दीवारें उर्ध्व होने के कारण वन्य प्राणियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्योंकि उनमें एक बार गिरने के बाद खड़ी दीवार पर चढ़ने में असमर्थता के कारण वन्य प्राणी का बच निकलना सम्भव नहीं होता। इसलिए हौदों की कम से कम एक दीवार ढाल बनाई जावे तथा तीन उर्ध्व मय पेरापेट बनाई जावे जिससे वन्य प्राणी इनका उपयोग जल स्त्रोत के रूप में पूर्णरूपेण कर सकें तथा गिरने की व्यवस्था में ढाल दीवार से बाहर भी निकल सकें।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक एव मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(ग) परिपत्र/तक./मुवजीप्र/94-95/744 दिनांक 2.2.1995

राज्य के कुछ जिलों में विशेषकर कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां, अजमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में मकर संक्राति, होली व आखातीज के अवसर पर मांसाहारी ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक रूप से एक या दो दिन के लिए वन्य जीवों का शिकार करने का प्रयास किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा

में ऐड़ा कहते हैं। यह एक सामाजिक कुरीति है।

राज्य में वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 9 के अन्तर्गत राज्य में पाये जाने वाले समस्त वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐड़ा प्रथा के दौरान वन्य जीवों के शिकार नहीं हो पावें, इस ओर विशेष ध्यान दिया जावे, राज्य में गठित उड़नदस्तों एवं इस प्रकार के शिकार को रोकने हेतु विशेष रूप से गठित दलों द्वारा इन दिनों विशेष गश्त कर शिकार की रोकथाम की पुख्ता व्यवस्था की जावे।

प्रमुख रूप से यह ऐड़ा प्रथा मकर संक्रान्ति, होली के त्यौहार एवं अक्षय तृतीय (आखातीज) में निकालने का अवसर है। वन क्षेत्रों से बाहर राजस्व क्षेत्रों में भी यथा सम्भव तीतर एवं खरगोश के शिकार ऐड़ा निकालने के समय किया जाता है। अतः इस दौरान संबंधित जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों का भी सहयोग लिया जावे।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.11(27)वन/91 दिनांक 19.1.1996 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र पृष्ठांकन क्रमांकः एफ24(4)94/वसु/प्रमुवसं/नीलगाय/11129- 1613 दिनांक 29.2.96

वन्य जीव संरक्षण (अधिनियम, 1972) केन्द्रीय अधिनियम-53 की धारा 5 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 11(1) बी के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय, जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुँचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिए अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बाराँ, बून्दी, भरतपुर, सीकर, झुन्झुनूं, कोटा, जालौर, नागौर, श्रीगंगानगर, दौसा, जोधपुर, टोंक, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली एवं जयपुर जिले के लिए इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या 11(27)वन/91 दिनांक 3.3.1994 के द्वारा मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राधिकृत किया गया था।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 5 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब उक्त अधिनियम की धारा 11(1)बी के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुँचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिए मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,, जैसलमेर तथा बीकानेर को भी प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित जिलों के सम्मुख अंकित प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजरों को भी प्राधिकृत किया जाता है :-

	जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
1	अजमेर	ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर
2	अलवर	अलवर, बानसूर, बेहरोड, किशनगढ़बास, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, थानागाजी
3	बाड़मेर	बाजुत, शिव चोहटन, शिशना, सिन्टाडी, धोरीमन्ना, बालोतरा, बाड़मेर
4	बाराँ	किशनगढ़, नाहरगढ़, छिपाबड़ोद, अटरू, शाहबाद
5	बूंदी	नैनवा, ढाबी, हिन्डोली, बूंदी, इन्द्रगढ़
6	भरतपुर	बयाना, नदबई, भरतपुर, सिकरी, डीग

	जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
7	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा, माण्डलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर
8	सीकर	सीकर, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ़
9	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं, नवलगढ़, चिड़ावा, उदयपुरवाटी, खेतड़ी
10	कोटा	लाडपुर, मण्डाना, कनवास, सुलतानपुर, मोडक
11	जालौर	जालौर,जसवन्तपुरा, सांचोर, रानीवाड़ा, अहोड़ी
12	नागौर	नागौर, मेड़ता, कुचामन, परबतसर, लाडनूं
13	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर, रावली, विजयनगर, श्रीगंगानगर, गोधमना, अनूपगढ़, काडा, पदमपुर, करनपुर, रोजड़ी, सूरजगढ़
14	दौसा	दौसा, बांदीकुई, लालसोट, महुवा
15	धौलपुर	जोधपुर, बालेसर, बिलाड़ा, ओसियां, फलौदी, चौखा, अरोना
16	टोंक	देवली, टोंक, मालपुरा, निवाई, उनियारा
17	सिरोही	आबूरोड, पिण्डवाड़ा, सिरोही, सिरोडी
18	पाली	पाली, बाली, सोजत, देसूरी, सुमेरपुर, सेन्दड़ा
19	जयपुर	चाकसू, चौमूं, दूदू, जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बस्सी, झोटवाड़ा, आमेर, जमवारामगढ़, नाहरगढ़, विराटनगर

इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
अतिरिक्त शासन सचिव, वन

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(ज) परिपत्र/तक./मुवजीप्र/94-95/15578 दिनांक 30.12.1996

इस कार्यालय के परिपत्र सम संख्या 3498-3650 दिनांक 28.11.1995 द्वारा आपको वन्य जीवों के अवैध शिकार की ऐड़ा जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए ठोस कार्यवाही/प्रस्ताव के लिए निर्देश दिये गये थे। यह कुप्रथा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होने की आशंका को देखते हुए विशेषकर कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां, अजमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर में मकर संक्रान्ति, होली एवं आखातीज के अवसर पर इस ''ऐड़ा'' कुप्रथा को रोकने हेतु प्रशासन/पंचायतों के माध्यम से प्रचार-प्रसार द्वारा इसके विरूद्ध एक सामाजिक वातावरण तैयार किया जावे। आम जनता को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों एवं दण्ड प्रक्रिया से अवगत कराते हुए जानकारी दी जावे कि इस प्रकार वन्य जीवों का शिकार करना अपराध है तथा ऐसा करना पाये जाने पर सात वर्ष की सजा का प्रावधान है।

2. मकर संक्रान्ति, होली व आखातीज पर इस कुप्रथा का प्रचलन है, उनकी स्थान एवं तिथिवार सूचना संकलित की जावे तथा समयबद्ध तरीके से ऐसे प्रत्येक स्थान पर सघन गश्त की व्यवस्था करते हुए निषेधात्मक कदम उठाये जावें, ताकि जनता को इस कुप्रथा में सम्मिलित होने से हतोत्साहित किया जा सके।

3. राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रभावित जिलों में वन विभाग तथा पुलिस विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर विशेष अवसरों पर ''ऐड़ा'' विरोधी अभियान चलाये ताकि स्थानीय जनता में इस कुप्रथा तथा इसके परिणामस्वरूप मिलने वाले दण्ड की आशंका से भय उत्पन्न हो और वे इस कुप्रथा में भाग नहीं लेवें।

हस्ताक्षर/-
(आर.जी.सोनी)
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Copy of the letter No. 3-9/94-WII/WM dated 9th Jan.,1997 received from the Director, Wildlife Institute of India, Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun addressed to the Chief Conservator of Forests (WL) and Chief Wildlife Warden, Rajasthan, Jaipur Office of the Chief Wild Life Warden, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F3(Go)Nagaur/600 dated 27.1.1997

Sub.: Releasing of Trapped Panther in Natural Habitates.

Ref.: Your letter No. F()Tech/CWLW/14976 dated 16.12.1996

Sir, Kindly refer to the subject and reference quoted above, it is true that we are now facing increasing number of problems with respect to certain species of wild animals being found near or within villages and small townships, especially the leopard. The real problem is when people start crowding the animal and disturbing it. Sometimes this leads to very unfortunates consequences both for the animal and people.

As a principle, as far as practicable, such animals should be captured and released in the forest. It might be necessary at times to take an injured animal in captivity. There is an ongoing strange experience in Gir forest where catching leopards and releasing them in the wild has become a continuous and unending operation. A large number of leopards are in captivity and it is very expensive to maintain a large captive population. Gir represents a situation which might be faced elsewhere several years from now, and not because for increasing density of leopards but due to rapidly shrinking habitats and growing human population.

There needs to be a good orientation for field staff as to how they should conduct themselves and now to deal with people in such situation. Besides, a public education programme needs to be taken up where such incidents are frequently experienced. A further clear message needs to be included in such programme that cubs/pups of wild carnivorers when encountered, seemingly abandoned, should never be disturbed or touched. As regards sloth bear, hyaena and tiger similar approach should be adopted. An animal should not be taken in captivity unless it is

injured or unless an animal is already habituated to village systems and is likely to create further problems. A decision will need to be taken as per the merit of a case.

*(**भावार्थ** :- यह पत्र पकड़े गए/बध्य तेन्दुओं को जंगल में छोड़े जाने के सम्बन्ध में है)*

राजस्थान सरकार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प011(27)वन/91 जयपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 1997

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19.1.1996 के क्रम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53)की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा 11(1)बी0 के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय, जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुँचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित जिलों के सम्मुख अंकित प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजरों को ही प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजों का नाम
1	राजसमन्द	राजसमन्द, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ़, मावली
2	हनुमानगढ़	रावतसर, सार्दुलशहर, भादरा, हनुमानगढ़, मस्ती वाली, पीलीबंगा, पल्लू नोहर
3	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़, भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, बेगूं, खोखेर, विजयपुर
4	सवाई माधोपुर	गंगापुर, गुढाचन्द्रजी, खण्डार, सवाई माधोपुर, बोली, सपोटरा, केलादेवी
5	धौलपुर	बाडी, धौलपुर, राजाखेड़ा, सरमथुरा

इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
(एस0प्रसाद)
विशेषाधिकारी, वन

Government of Rajasthan, Forest Department Notification No. F.11(35)Forest/97 Jaipur, Dated 7.8.1997

In exercise of the powers conferred by Sec. 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972) the State Government hereby makes the following rules further to amend the Wildlife (Protection) (Rajasthan) Rules, 1997 namely:-

1. Short title and commencement (i) These rules may be called the wildlife (Protection) (Rajasthan) amendment Rules, 1997.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazettee.

2. In sub-rule (3) of rules 23 of the Wildlife (Protection) (Rajasthan) Rules, 1997

(i) After the existing third proviso, the following new proviso shall be added namely:-

"Provided also further that no entrance fee and Additional fee shall be charged from Indian citizens entering the Sitamata Wildlife Sanctuary of the Mela days of every year i.e. from two days, before to one day after of the 'Amavasya' of 'Jyeshtha month of every year.

By order of the Governor,
(Alka Kala)
Secretary to the Government

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना तारीख 14 अक्टूबर, 1998

सा0का0नि0 सिविल रिट याचिका संख्या 890/91 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 21.8.1997 के अपने आदेश से निर्देश दिया है कि केन्द्रीय सरकार तारीख 2.3.1991 की अधिसूचना पर पुनर्विचार कर सकती है और ऐसी सामग्री, जो इसके पास उपलब्ध हो अथवा किसी प्रामाणिक अभिकरणों अथवा ऐसे अन्य अभिकरण अथवा विशेषज्ञ समिति, जिसे यह नियुक्त करना पसंद करती है, के माध्यम से इकट्ठा कर सकती है, पर विचार कर सकती है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने किसी अधिप्रमाणित अभिकरणों अथवा ऐसे अन्य अधिकरण/व्यक्तियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त सामग्री को ध्यान में रखते हुए तारीख 2.3.91 की अधिसूचना सा0का0नि0 252 पर फिर से विचार करने हेतु वन अपर महानिरीक्षण (वन्य प्राणी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

उक्त समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय सरकार ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तारीख 2.3.91 की अधिसूचना सा0का0नि0 सं0 252 तथा तारीख 7.8.1991 की सा0का0नि0सं0 485 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित पशुओं को तमाशा दिखाने वाले पशुओं के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, अर्थात् :-

1. भालू 2. बन्दर 3. बाघ 4. तेन्दुआ 5. शेर

हस्ताक्षर/-
(डॉ0 एम.एस.अहमद)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3(465)तक./मुवजीप्र/97/15060 दिनांक 10.11.1998

राज्य सरकार के पत्र संख्या प.11(12)वन/98 दिनांक 31.3.98 के क्रम में उनके पत्र संख्या प.11(12)वन/98 दिनांक 31.8.98 से दी गयी अनुमति अनुसार इसके कार्यालय के आदेश क्रमांक 9919 दिनांक 1.8.98 के क्रम में वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद द्वारा उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/क्षेत्र निदेशक/उप निदेशक तथा उप वन संरक्षक (वन्य जीव) को अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले जिलों में वन्य जीव अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 15 कि.मी. तक की परिधि में जंगली सुअरों को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(बी)के अन्तर्गत मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। परन्तु अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 5 कि.मी. तक की दूरी पर जंगली सुअरों को मारने की अनुमति देने से पूर्व स्वयं पूरी स्थिति का आंकलन कर अपने वन संरक्षक के माध्यम से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात् ही आदेश जारी कर सकेंगे।

उपरोक्त अनुमति केवल सुअरों को मारने के लिये दी जा सकती है, जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुँचाता है। इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् लिखित में कारण निर्दिष्ट करते हुए ही दी जावेगी। इस प्रकार दी जाने वाली स्वीकृति की प्राप्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित वन संरक्षक (वन्य जीव) को भी दी जावेगी।

हस्ताक्षर/-
(आर.जी.सोनी)
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Copy of D.O. letter no./98-NFA/RKU dated 21.10.98 from Shri R.K. Upadhyay, Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Govt. of India, Ministry of Environment & Forests, Dehradun to Shri R.G. Soni IFS, Chief Wildlife Warden, Van Bhawan, Jaipur Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur endorsement No. 8130-8280 dated 21 Nov., 1998

Sub.: Incident of black bug poaching in Jodhpur case- landmark judgement of Kerala High Court- Interpretation of Section 25 of Indian Evidence Act regarding.

Dear Shri Soni,

The recent incident of black bug poaching by Cine Star in Jodhpur which has appeared in media, has been charged under wildlife Protection Act as well as under Arms Act.

The successful prosecution of offender in this case my depend on evidences. The Kerala High Court has given a landmark judgement in Forest Range Officer Vs. Abubeeker & others in Criminal Application No. 317 of 1988 decided on 14th March, 1989. The Kerala High Court had held that under Section 9 of Wildlife Protection Act 1972 the rule of Corroboration, Principle of Prudence can not be applied rigidly in forest & wildlife cases. Further

Court has held that it could be pedantic to insist on the rule of corroboration by independent evidence to prove offences relating to forest & wildlife. It should not be forgotten that there is no rule of law that no evidence should be relied on unless there is corroboration. Facts and circumstances may warrant, sometime to act on such evidences even without corroboration. Forest is an area where human activities are scanty except the clandestine adventure of poachers. The invaders of forest & wildlife usually take care that their poaching techniques go unnoticed by others including wild animals. They adopt devices to keep their movement undetected. Hence it would be pedantic to insist on the rule of corroboration by independent one evidence improvement of offence relating to forest & wildlife.

I am enclosing herewith the full text of judgement for your information and hope that this judgement may help in successful prosecution.

KERALA HIGH COURT

Present :

THOMAS, O. Forest Range Officer, Versus

Aboockar and another (Cr. App.No. 317 of 1988, decided on 14th March, 1989)

Wild Life (Protection) Act, 1972, Section 9(2) …. Corroboration … Rule of corroboration a principle of prudence which cannot be applied rigidly. It would be pedantic to insist on the rule of corroboration by independent evidence to prove offence relating to forests and wildlife.

It should not be forgoten that there is no rule of law that no evidence should be relied on unless there is corroboration facts and circumstances may warrant, sometimes, to act on such evidence even without corroboration. Forest is an area where human activities are scanty except the clandestine adventures of poachers. The invaders on Forest and Wildlife usually take care that their poaching techniques go unnoticed by others including wild animals. They adopt devices to keep their movements undetected. Hence it would be pedantic to insist on the rule of corroboration by independent evidence in proof of offence relating to forests and wildlife.

Evidence Act, 1872, Section 25- Embargo contained in – Not applicable to statements made to a Forest Officer or Range Officer.

The admissibility of the confession made to the Forest Range Officer is not open since the embargo contained in Section 25 of the Evidence Act is not applicable to it. Forest Officers, though they are invested with some of the police powers, are not police officers. Hence they can give evidence before court regarding admissions or confession made to them by accused persons, whether or not such persons were then in custody. If the court considers such confession to be reliable, there is no legal bar in acting on such confession.

The test for determining whether an officer of customs is to be deemed a police officer is whether he is invested with all the powers of a police officer and investigation of an offence, including the power to submit a report under Section 173, Cr.PC.

Neither the Kerala Forest Act nor the wild life protection Act conferred all the powers of police officers on the

forest officers or wildlife protection force even though some of the powers have been conferred on them to be exercised in specified contexts. It is, therefore, clear that the embarge contained in Section 25 of the Evidence Act cannot be applied to the statements made to a Forest Officer or Range Officer etc.

Case Law :

* Assistant Collector of C.E. V. Vasantha Kumar (1988) 1 Ker LT 92
* Ramesh Chandra Mehta V. State of West Bengal, AIR 1970 SC 940.
* E.C. Richard V. Forest Range Officer, AIR 1958 Mad. 31.

Counsel :

Public Prosecutor (Smt. Aiysha Yousuff), for Appellant.

M.M. Abdul Aziz & M.M. Saidu Mohammand, for Respondents.

JUDGEMENT

THOMAS J. 1.... For hunting and killing a wild animal (a bison) in a forest area the respondents were convicted by the trial Magistrate, but were acquitted by the session court in appeal. The Forest Range Officer, who instituted the prosecution, has presented this appeal with special leave against the said acquittal. Hunting of wild animals is prohibited under section 9 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (for short the Act). The trial Magistrate who convicted the tew respondents under Section 51 of the Act sentenced them to rigorous imprisonment for six months and a fine of Rs. 500 each being the minimum sentence prescribed under the Act. The Session Judge who set aside the conviction and sentence was disinclined to rely on the evidence of the prosecution and hence the acquittal.

2. The facts revealed in the prosecution evidence, in short, are these : The three accused in the trial court are brothers. They engage themselves in poaching as a pastime and also for profit making. They have a gun and other accessories necessary for poaching. During the middle of February, 1985 they went into the vested forest as Munderi (in Nilambur range) and sighted a bison and shot it down. They extractedits meat and sold in open Bazar. The reamining carcass was buried in the ground. On receipt of some unauthentic information about the incident, the forest officials went to the house of the accused. As the first accused was absent in the house then the Range Officer interrogated the respondents (who were the second and third accused in the trial court). They admitted that the bison was shot dead by them and its flesh was sold in open market. The respondents pointed out the spot where they buried the carcass of the animal which included its skull and horns.

3. The Chief Judicial Magistrate who tried the case relied on two statements (Exts. P3 and P4) containing the confession made by the respondents before the Range officer. However the Chief Judicial Magistrate acquitted the first accused and convicted the other two accused (respondents) for the aforesaid offence. The sessions Judge found that the prosecution has not been instituted by a person authorised by the State Government as required in Section 55 of the Act. He also found that the confessional statements cannot be relied on.

4. Section 55 of the Act says that the court shall take cognizance of any offence against this Act exception the complaint of the Chief wildlife warden or such other officer as the State Government may authorised in the behalf. The complaint in this case was filed by the Foerst Range Officer by modification dated 1.2.1975 the Kerala Government has authorised officers of the Forest Department of the State not below the rank of Range Officer and Asstt. Wildlife Preservation Officers (Vide Kerala Gazettee No. 6211/ FM3/75/AD). Even though the said notification was not marked as an exhibit in evidence, court can take judicial notice of it (Vide Assistant civil ctar of C.S.V. Vasantha Kumar). Therefore the view of the learned Session Judge regarding the competence of the compliant can not be sustained.

5. Prosecution examined only three witnesses, all of whom are officials of the Forest Department, who claimed to have gone to the respondent's house on 21.2.1985 and heard the statements made by them. The officials were present when the skull and horns were disinterred from the place spotted out by the respondents. Section 9(2) of the Act contains the prohibition that no person shall hunt any wild animal specified in Schedule II, Schedule III, or Schedule IV except under and in accordnace with the conditions specified in a licence granted under sub section (5). Bison is including among the list of animals enumerated in schedule II. Both the trial Magistrate and the Sessions Judge accepted the prosecution evidence regarding the indentity of the skull and horns as these of bison. The term "hunting" is defined in the Act as including, capturing, killing, poisoning, snaring and trapping of any wild animal and driving any wild animal for any of the aforesaid purposes, injuring or destroying or taking any part of the body of any such animal (vide Section 2(16) of the Act.)

6. One of the arguments advanced by the learned counsel for the respondents is that the evidence of forest officers alone. The basis of evidence without corroboration by independent witenesses. It is difficult to accept such a wide proposition. The rule of a corroboration is a principle of prudence which should not be applied rigidly or punctiliously. If a crime is committed in such a manner that no other person could normally have been present in the vicinity, insistence on the rule of corroboration in such case would maul the cause of justice because such insistence would only help the perpetrator to go scot free. It should not be forgotton that there is no corroboration. Facts and circumstances may warrant. Sometimes, to act on such evidence even without corroboration. Forest is an area where human activities are scanty except the clandestine adventures of poachers. The invaders of forest and wildlife usually take care that their poaching techniques go unnoticed by others including wild animals. The adopt devices to keep their movements undetected. Hence it would be pedantic to insist on the rule of corroboration by independent evidence in proof of offence relating to forests and wildlife. Parliament, in brining a new legislation for protecting of wildlife was inspired by the urge to preserve what little is left as wild life, Rapid decline of India's animal wealth, one of the richest in the world once upon a time, would have caused concern not only to the zoologists and ornithelogists but to all others who know the consequences of deforestation. Some of the rare species have already been wiped out of the earth and some others have reached to danger mark predicting cental extinction unless expeditious pretective measures are adopted. The orevious enactment (Wild Birds and Animals Protection Act 1972) was found to be outmeded and unsuited to touch challenges pested forest wealth. When a legislation was areas brought to meet new challenges, court must guard against the possibility of frustrating the enactment by clinging to the rule of corrobortion punctiliously.

7. The most important item of evidence in this case is the confessional statement made by the respondents. The admissibility of the confessional made to the Forest Range Officer is not open to doubt since the emberg contained in Section 25 of the Evidence Act is not applicable to it. A rest officers though they are invested with same of the ………… ………………………

8. A constitution Bench of the Supreme Court has held in Ramesh Chandra Mehta V. State of Forest Bengal that customs officer in not a police officer for the purpose of Section 25 of the evidence Act. Their Lordships have stated thus : "A Custom Officer under the Sea Customs Act, 1878, had the power to detain, to arrest, obtain an Search warrant, to produce the person arrested before a Magistrate and to obtain an order for reminded and to keep him in custody with a view to collect evidence. He may, therefore have opportunities, which a police officer has of extracting a confession from a suspect, but a custom officer is not on that account a police officer. The tests for police officer is whether he is invested with all the powers of police officer ……. Of an offence including the power to submit a ……………………………………..

कार्यालय अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3(ग)तक/मुवजीप्र/99/2411 दिनांक 15.2.99

वन्य जीव प्रभाग में वन्य जीवों के अवैध शिकार के कुछ प्रकरणों में मुल्जिमों के नाम पते मालूम नहीं होते परन्तु ग्रामवासियों द्वारा शिकायत दर्ज करवाने पर प्रकरण दर्ज कर नामालूम मुल्जिम प्रथम अपराध सूचना जारी की जाती है। काफी प्रयत्न के बावजूद भी जब मुल्जिमान का नाम पता शिनाख्त नहीं हो पाते तो ऐसे प्रकरण विभाग में गुमनाम मुल्जिमों की तलाश की प्रतीक्षा में वर्षों लम्बित रहते हैं। फिलहाल विभाग में इन प्रकरणों पर अन्तिम रिपोर्ट लगाने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। इसी प्रकार वन्य जीव प्रकरणों में कुछ प्रकरण ग्रामीणों के आपसी रंजीश के कारण दर्ज करवा दिये जाते हैं परन्तु इन प्रकरणों की जाँच व अन्वेषण के दौरान तथ्य, साक्ष्य, गवाह, आरोप सिद्ध नहीं कर पाते व मुल्जिम को विभाग में एफ.आर. की प्रक्रिया निर्धारित नहीं होने से दोष मुक्त नहीं किया जा सकता व प्रकरण विभाग में लम्बित रहते हैं, जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ती रहती है। इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु एफ.आर. (फाइनल रिपोर्ट) लगाने की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जावे :-

(1)अनुसूची प्रथम व अनुसूची द्वितीय का भाग II के वन्य जीवों हेतु

1. उक्त अनुसूची के वन्यजीवों के मामलों में नामालूम एफ.आई.आर. जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मुल्जिमों का पता लगाने व उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

2. इन वन्य जीवों के प्रकरणों में कम से कम 1 वर्ष की अवधि तक पूर्ण प्रयास करने के पश्चात् यदि कोई सुराग प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रकरण को संबंधित उड़नदस्ते (निर्धारित प्रपत्र भाग 1 के साथ) को संभला दिया जायेगा। एफ.आर. हेतु प्रकरण कमेटी को प्रस्तावित किया जायेगा। ऐसे प्रयासों में पुलिस तथा अन्य स्वयंसेवी संस्था, मानद वन्यजीव प्रतिपालक आदि की सहायता भी ली जावे।

3. गठित कमेटी ऐसे प्रकरणों में मुल्जिमों का पता लगाने के प्रयासों व प्रकरण में की गई कार्यवाही का गहनता से अध्ययन करेगी तथा संबंधित वन मण्डलों के ठोस प्रस्तावों पर ही एफ.आर. जारी करने की अनुशंषा अधिकृत अधिकारी को करेगी।

4. मुकदमा झूठा पाया जाने पर ठोस प्रमाणों के साथ एफ.आर. हेतु संबंधित कमेटी को प्रस्तुत किया जायेगा।

5. इस संवर्ग के वन्य जीवों के मामलों में एफ.आर. देने हेतु संबंधित वन संरक्षक अधिकृत होंगे तथा एफ.आर. लगाने की अनुशंसा निम्नलिखित कमेटी के द्वारा संबंधित वन संरक्षक को मय पूर्ण प्रकरण के भेजा जायेगा।

कमेटी गठन

1.	संबंधित वृत्त के वन संरक्षक	-	अध्यक्ष
2.	वृत का वरिष्ठतम उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी	-	सदस्य
3.	संबंधित वन मण्डल का उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीप प्रतिपालक/मण्डल वन अधिकारी	-	सदस्य सचिव
4.	संबंधित जांच अधिकारी	-	सदस्य
5.	संबंधित जिले के मानद वन्य जीव प्रतिपालक	-	सदस्य

उक्त कमेटी ऐसे लम्बित प्रकरणों का पुनरावलोकन प्रत्येक 6 माह में एक बार अवश्य करेगी।

(II) अनुसूची II (भाग II के अतिरिक्त), III व I के वन्यजीवों के प्रकरणो ेंमें एफ.आर. देने हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया

1. एफ.आर. हेतु प्रकरण कम से कम 6 माह के पूर्ण प्रयास के बाद उड़नदस्ते निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किया जायेगा।
2. एफ.आर. देने से पूर्व उड़नदस्ते द्वारा 6 माह की अवधि में नामालूम मुल्जिमों / झूठे प्रकरणों की पूर्ण छानबीन कर दोषी व्यक्तियों को ढूंढ़ने का प्रयास किया जायेगा तथा तत्पश्चात् प्रकरण निर्धारित कमेटी को प्रस्तुत किया जावेगा।
3. अधिकृत कमेटी प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को गहनता से अध्ययन करेगी, किए गए प्रयासों के लिखित सबूतों का आधार देखेगी व निर्धारित प्रक्रिया व अवधि पूर्ण प्रकरणों में एफ.आर. हेतु अनुशंसा करेगी।
4. इन वन्य जीवों के प्रकरणों में एफ.आर. संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा कमेटी की अनुशंसा पर जारी की जायेगी। एफ.आर. की अनुशंसा करते हुए निम्नलिखित कमेटी अधिकृत होगी-

कमेटी गठन

1.	संबंधित वन मण्डल के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी /उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	-	अध्यक्ष
2.	उस वन मण्डल या अन्य वन मण्डल का सहायक (वन्य जीव)	-	सदस्य
3.	प्रभारी वन्य जीव उड़नदस्ता/संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/जाँच अधिकारी	-	सदस्य सचिव
4.	जिले का मानद वन्य जीव प्रतिपालक-सदस्य		

भाग-I

1. प्रकरण का दिनांक :
2. नाका
3. रेंज
4. वन मण्डल
5. प्रकरण का विवरण
6. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा जिनके तहत अपराध :
7. तफतीश करने वाले का नाम
8. कार्यवाही का विवरण (दिनांकवार)

9. साक्ष्य (अपराध होने अथवा न होने के)
10. कार्यवाही का निष्कर्ष
11. उड़नदस्ते को प्रकरण सौंपने की दिनांक

भाग-II

उड़नदस्ते द्वारा तफतीश की विगत :

1. तफतीश करने वाले का नाम
2. कार्यवाही का विवरण (दिनांकवार)
3. कार्यवाही का निष्कर्ष
4. साक्ष्य
5. उड़नदस्ता प्रभारी की अभियुक्ति

भाग-III

1. एफ.आर. कमिटी की अभियुक्ति
2. हस्ताक्षर

एफ.आर. लगाने वाले के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3(ग)तकनीकी/मुवजीप्र/98-99/2772 दिनांक 22.2.1999

वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 33 (बी) तथा (सी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य के समस्त वन्यजीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के वन क्षेत्रों में कुल्हाड़ी/आरी एवं छंगाई करने का तड़ा/सेलड़ी अथवा पेड़, पौधे काटने के अन्य कोई औजार आदि को ले जाने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है। दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर/-
(आर.जी.सोनी)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प011(5)वन/98 जयपुर, दिनांक 4 मार्च, 1999

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प03(5)(8)राज/8/72 दिनांक 18.6.1983 को अधिष्ठित करते हुए तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 4(1)(क) के साथ पठित धारा 2 के दण्ड (38) के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा, राज्य के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के लिये पदेन वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त करती है :-

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
2. समस्त वन संरक्षक
3. समस्त उप वन संरक्षक
4. समस्त उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
5. समस्त क्षेत्र निदेशक/क्षेत्र उप निदेशक
6. समस्त सहायक वन संरक्षक/वन्यजीव प्रतिपालक/सहायक क्षेत्र निदेशक
7. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर/-
(एस0अहमद)
शासन सचिव, वन

Additional Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wild Life Warden Rajasthan, Jaipur Circular No. F.CWLW/99/Tech/496 dated 5 April, 1999

In continuation of order No. F/CWLW/99/Tech/3904 dated 11.3.1999 of this office, vide which certain powers for the purpose of section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 were delegated to officers in-charge of Sanctuaries and National Parks, it is further clarified that:-

(a) For the purpose of Section 28(i) (b) the Dy. Conservator of Forests / In-charge of the National Park / Sanctuary is empowered to issue permission for filming for Nature and Wildlife themes on payment of prescribed fees and subject to prescribed conditions. Permission for feature films and documentaries on other themes will be issued by CWLW only.

(b) For purpose of Section 28(2) the Dy. Conservator of Forests/ In-charge of a National Park/ Sanctuary is empowered to permit tourists to stay in rest houses on payment of prescribed fee and subject to their fulfilling other regulations. They are also empowered to permit camping at suitable places by trekkers, nature lovers, bird watchers etc. who are not being sponsored by travel-agencies, hoteliers, tour-operators etc. with a commercial motive in mind.

Signature/-
Addl. Principal Chief Conservator of Forests
And Chief Wildlife Warden, Rajasthan, Jaipur

*(**भावार्थ** : राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में फीचर फिल्म निर्माण व पर्यटकों को रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति पार्क प्रभारी दे सकेंगे)*

Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003 letter No. 1-2/95 WL I Dated 7.6.1999 Office of the Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Chief Wildlife Warden, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F ()Tech/CWLW/ 9887-9903 dated 20.7.1999

Sub.: Confiscation of vehicles used for Committing an offence.

Sir,

According to Section 39 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 as amended in 1991, the vehicles, weapons and tools used for committing any offence qualified to the Government property and the same should not be returned to the offenders in any case. The Madhya Pradesh High Court has recently passed a judgement on this issue. A copy of the judgement is enclosed for your ready reference. In future, due care has to be observed while compounding the case and not to return the vehicles, weapons and tools to the offenders.

Yours faithfully,
Signature/-
(S.C.SHARMA)
Addl. Inspector General Forests (Wild Life)

*(**भावार्थ** : वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयुक्त वाहन, हथियार व औजार किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को वापस नहीं लौटाए जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय संलग्न है)*

WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972, SECTION 39 (I.P. Rao, J.)

STATE OF M.P. — Applicant
Vs.
SAYED YAHYA ALI — Non-applicant

Wild life (Protection) Act (53 of 1972 as amended by Act 44 of 1991) , S.39-Vehicle used for committing an offence under the provisions of the Act-Confiscation of such vehicle-Vehicle cannot be returned to the accused-It vests in the State Government under section 39.

Section 39 of the Wild Life Protection (Amendment) Act, 1991, which came into effect from 2.10.1991 clearly lays down that the vehicle which is involved in the offence and has been seized under the provisions of the Act shall be the property of the State Government. As a consequence of amending section 39, section 50 of the original Act has also been amended taking away the power to return the vehicle which has been involved in the offence and seized by the officials. By virtue of the Amending Act sub-section (2) of section 50 has been omitted. The very purpose of carrying out the amendment making the seized vehicle as the property of the

Government would be defeated by directing return of the vehicle on furnishing security to the accused. The power of releasing the vehicle has been expressly removed by omitting sub-section (2) of section 50 to ensure that the vehicle which has been seized should not be returned come accused M.P. No. 836 of 1994, Dist. (Paras. 2, 3 and 4)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (1972 का 53, अधिनियम 1991 का 44 से यथा संशोधित) धारा 39-अधिनियम के उपबंधों के तहत किये हुए अपराध में यान का उपयोग - ऐसे यान का अधिहरण - अभियुक्त को यान वापस नहीं किया जा सकता - धारा 39 के तहत वह राज्य सरकार में निहित हो जाता है। (पद 2, 3 एवं 4)

For State : R. K. Khare, Government Advocate

For non-applicant : Manish Datt

ORDER This is a revision filed by the State aggrieved by the order of the learned Sessions Judge, Bhopal, dated 10.2.1992 in Cri. Revision No. 17/92 directing the release of the jeep to the responding on furnishing security.

2. Shri R.K. Khare, learned Govt. advocate, submtited that the order of the learned Sessions Judge, Bhopal, is illegal by virtue of the amendment brought out to section 30 of the Wild Life Protection (Amendment) Act 1991 (hereinafter referred to as the Act) which has come into effect from 2.10.1991. That amendment lays down that any vehicle that has been used for committing an offence and has been seized under the provisions of the Act shall be the property of the Government. This amendment referred to above

ASHOK V/s CENTRAL BANKS OF INDIA (1995 MPL J.)

Clearly lays down that the vehicle that has been used for committing an offence and has been seized under the provisions of the Act shall be the property of the Government. This amendment referred to above clearly lays down that the vehicle which is involved in the offence and has been seized under the provisions of the Act shall be the property of the State Government.

3. As a consequence of amending section 39, section 50 of the original Act has also been amended taking away the power to return the vehicle which has been involved in the offence and seized by the officials. By virtue of the amending Act, Sub-section(2) of section 50 has been omitted.

4. The learned counsel for the respondent relying upon a decision of the Division Bench in M.P. 636/94 argued that the power under section 39 or 50 can be exercised only when an order of confiscation is passed while convicting the respondent but not otherwise. The learned Judges of the Division Bench in the aforesaid matter dealt with the provisions of the Indian Forest Act but not under the Wild Life (Protection) Act. The very purpose of carrying out the amendment making the seized vehicle as the property of the Government, would be defeated by directing return of the vehicle on furnishing security to the accused. The power of releasing the vehicle has been expressly removed by omitting sub-section (2) of section 50 to ensure that the vehicle which has been seized should not be returned to the accused in contrast with the provisions of wild life (Protection) Act, the Forest Act does not contain a similar provision that the vehicle involved in the offence should be treated as the property of the Government. The only power reserved under the Forest Act is to confiscate the vehicle. As submitted by the learned counsel for the respondent, the question of confiscation

arises only after trial one provisions of the Wild Life (Protection) Act being different from the provisions of the Indian Forest Act, the observation of the learned Judges of the Division Bench will not have application to the facts of this case.

5. The revision is accordingly allowed and the learned District Judge, Bhopal is directd to take steps to cause the jeep to be returned by the respondent and deliver the same to the Additional Inspector General, Wild Life, Bhopal.

Revision allowed

CONSTITUTION OF INDIA, ARTICLE 12 AND INSTITUTE OF INDIAN BANKING PERSONNEL SERVICES

(T.S. Doabia,J.)

ASHOK KUMAR BHOMIA — Petitioner
Vs.
CENTRAL BANK OF INDIA, BOMBAY and others — Respondents

(a) Constitution of India, Art 12 – Institute of Indian Banking Personnel Services is an authority within meaning of Article 12. AIR 1981 SC 487 , Rel., AIR 1992 P & H1, Dist. (Paras 4 to 7)

(Misc. Petition No. 557 of 1990 decided on 3.7.1995, Gwalior)

Office of the Principal Chief Conservator of Forests & Chief Wild Life Warden, Rajasthan, Jaipur Order No. F.3(Gha)Tech./CWLW/98/10897-10896 dated 6.8.99

Delegation of powers for giving prior concurrence for granting of new licences for Arms within a radius of 10 Kms: of a Sanctuary or National Park.

In persuance of the provisions of sec. 5(2) of the wildlife Protection (Act.) 1972, and the approval accorded by Govt. of Rajasthan vide letter No. F.7(27) Forest/95 dated 31.7.99 the undersigned hereby delegates his powers and duties for the purpose of section 34(3) of the Act, to the Dy. Conservator of Forests in whose jurisdiction the Sanctuary or National Park lies.

Hence forth all applications seeking prior-concurrence of the Chief Wildlife Warden for granting of new licences for arms within a radius of 10 kms. of a Sanctuary or National Park shall be dealt with by the Dy. Conservator of Forests holding jurisdiction over the Sanctuary or National Park. On receipt of such applications the concerned Dy. Conservator of Forests shall make such inquiries as prescribed by this office earlier and may issue the requisite no-objection certificate.

A quarterly report about the number of NOC's issued would be forwarded by the Dy. Conservator of Forests to this office.

Signature/-
Addl. Principal Chief Conservator of Forests
& Chief Wild Life Warden,
Rajasthan, Jaipur

*(**भावार्थ** :- अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि नए हथियार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में कार्यवाही के अधिकार का सम्बन्धित उप वन संरक्षक को प्रत्यायोजित किया जाता है।)*

Government of Rajasthan, Forest Department Notification No. F.11(88)Forest/89 Jaipur, Dated 13.8.1999

In exercise of the powers conferred by section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972), the State Government hereby makes the following rules further to amend the wildlife (Protection) (Rajasthan) Rules, 1977; namely :-

1. Short title and commencement :-

   (i) These rules may be called the Wildlife (Protection) (Rajasthan) (Amendment) Rules, 1999.

   (ii) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment in rule 27 :-

   In rule 27 of the Wildlife (Protection) (Rajasthan) rules 1977, for the words "not later than 28.2.1986" the words "not later than 31.12.99" shall be substituted.

By order of the Governor

(S. Ahmad)
Secretary to the Government

*(**भावार्थ** :- वन्य जीव (सुरक्षा) नियम 1977 की धारा 27 में तिथि 28.2.1986 के स्थान पर 31.12.1999 प्रतिस्थापित की गई है।)*

कार्यालय अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3(ग)तकनीकी/मुवजीप्र/99/11545 दिनांक 21.8.99

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 11398-409 दिनांक 18.8.99 में संशोधन उपरान्त निम्नानुसार पढ़ा जावे।

जन्तुआलय के वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 38(जे) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य के समस्त जन्तुआलयों में प्लास्टिक/पोलीथीन की थैलियों (कैरी बैग्स, पाऊच, प्लास्टिक की बोतल, कैन्स आदि) तथा खाद्य सामग्री ले जाने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है। कागज व कपड़े की थैलियाँ घरेलू सामान ले जाने हेतु प्रयोग में ली जा सकती हैं।

हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3(434)तक/पार्ट-II/मुवजीप्र/99/14148 दिनांक 23.10.99

राज्य सरकार के पत्र संख्या प011(88)वन/89 दिनांक 11.10.99 द्वारा दी गई अनुमति के क्रम में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 5(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्नांकित मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक को उनके नाम के समक्ष अंकित जिले के लिये वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 42 के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत करते हैं एवं कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 12185 दिनांक 31.8.1999 के परिलंघन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) राजस्थान नियम 1977 के नियम 27, 28 तथा 29 के लिए भी प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता हैः-

	प्राधिकृत अधिकारी	संबंधित जिले
1.	मण्डल वन अधिकारी, अजमेर	अजमेर
2.	क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का	अलवर
3.	मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
4.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	बाड़मेर
5.	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भरतपुर	भरतपुर
6.	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
7.	मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर	बीकानेर
8.	उप वन संरक्षक, बून्दी	बून्दी
9.	उप वन संरक्षक (व.जी.) चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़

	प्राधिकृत अधिकारी	संबंधित जिले
10.	उप वन संरक्षक, चूरू	चूरू
11.	उप वन संरक्षक, डूँगरपुर	डूँगरपुर
12.	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
13.	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चिड़ियाघर, जयपुर	जयपुर
14.	उप निदेशक, राष्ट्रीय मरू उद्यान, जैसलमेर	जैसलमेर
15.	उप वन संरक्षक, जालौर	जालौर
16.	मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़	झालावाड़
17.	उप वन संरक्षक, झुन्झुनूं	झुन्झुनूं
18.	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) जोधपुर	जोधपुर
19.	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) कोटा	कोटा
20.	उप वन संरक्षक, मरू.वना.एवं चारागाह विकास, नागौर	नागौर
21.	उप वन संरक्षक, पाली	पाली
22.	उप निदेशक (कोर एरिया) बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
23.	उप वन संरक्षक, डी.डी.पी., सीकर	सीकर
24.	मण्डल वन अधिकारी, सिरोही	सिरोही
25.	मण्डल वन अधिकारी, टोंक	टोंक
26.	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, गुलाबबाग, उदयपुर	उदयपुर
27.	उप वन संरक्षक, सा.वा., धौलपुर	धौलपुर
28.	उप वन संरक्षक, (पश्चिम), बाराँ	बाराँ
29.	उप वन संरक्षक, दौसा	दौसा
30.	उप वन संरक्षक, राजसमन्द	राजसमन्द
31.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
32.	उप निदेशक (बफर ऐरिया) करौली	करौली

हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर/समस्त मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/समस्त वन संरक्षक, राजस्थान/मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक को प्रेषित कर निर्देश है कि वे निम्नलिखितानुसार कार्यवाही करें :-

प्राधिकृत अधिकारी वन्य जीव (सुरक्षा) राजस्थान, नियम 1977 के नियम 27, 28 व 29 के तहत अपने स्तर पर कार्यवाही सम्पादित करेंगे। इन नियमों के अन्तर्गत क्रमशः नियम-27 के तहत फार्म नं. 13 में घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र प्राप्त किये जावेंगे। नियम 28(2) के तहत फार्म नम्बर 14 में इन्वेन्टरी स्टॉक में दर्ज किया जावेगा। इसके उपरांत नियम 29 के तहत फार्म नम्बर 15 में स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे व इसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी देंगे। उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्न प्रक्रिया काम में ली जावेगी:-

नियम-27 के अन्तर्गत फार्म नं. 13 में प्राप्त होने वाले घोषणा पत्रों एवं शपथ-पत्रों के अनुसार संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, उस व्यक्ति को भौतिक-सत्यापन के लिये एक नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा पत्रवाहक के जरिये भेजेंगे, जिसमें सत्यापन के लिये स्थान, तिथि व समय अंकित हों।

2. सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषित स्थान पर जांच करने व उपयुक्त पाये जाने पर नियम 28(2) के तहत फार्म नं. 4 इनवेन्टरी-स्टॉक में दर्ज करेंगे।

3. सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा पुरानी खालों, ट्राफीज, वन्य प्राणी वस्तुयें आदि पर सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर, नाम पहचान, चिन्ह इसके अतिरिक्त यदि सम्भव हो सके तो अमिट स्याही (indelible ink) के साथ पहचान चिन्ह अंकित करवाया जावेगा।

4. इसके उपरान्त फार्म नं. 15 में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी प्रेषित की जावेगी।

हस्ताक्षर/-
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3/तक/मुवजीप्र/99/14801 दिनांक 12.11.1999

इस कार्यालय के पूर्व में प्रसारित परिपत्र क्रमांक एफ3(ग)तक/मुवजीप्र/97/11786 दिनांक 8.9.97 के क्रम में सभी वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे सभी क्षेत्रों में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में विश्नोई बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ पर किसी भी अवैध शिकार की घटना घटित होने पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका रहती है, ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक अवैध शिकार की घटना घटित होने के बाद तत्काल जिला प्रशासन/पुलिस के अधिकारियों को सूचित किया जावे एवं उनके प्रतिनिधि अधिकारियों की उपस्थिति में वांछित कार्यवाही की जावे।

हस्ताक्षर/-
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प011(10)वन/98 जयपुर, दिनांक 18.2.2000

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या - 53 सन् 1972) की धारा 4 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने अधिकारिक क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची-II के पार्ट-I में उल्लेखित लाल मुंह के बन्दर (Rhosus macaque) एवं हनुमान लंगूर (Presbytis entellaeo) संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
(एस.अहमद)
शासन सचिव, वन

कार्यालय अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का पत्रांकः एफ3 (490)तक/मुवजीप्र/99/358-410 दिनांक 21.2.2000

विषय :- बन्दर पकड़ने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के कई क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से लाल मुँह के बन्दर एवं हनुमान लंगूरों की संख्या निरन्तर बढ़ने के कारण, रिहायशी क्षेत्रों में आम लोगों को इसके द्वारा परेशान करने, खाने-पीने की वस्तुयें झपटने, काटने आदि की घटनायें निरन्तर होने से आम व्यक्ति इनसे परेशान एवं भयभीत है। इन्हें पकड़ना भी अत्यन्त कठिन एवं खर्चीला कार्य है। प्रदेश के कई जिलों से समय-समय पर इनके आतंक की सूचना तथा विभाग द्वारा पकड़ने हेतु निवेदन के पत्र प्राप्त होते हैं किन्तु इस समस्या का तुरन्त कारगर समाधान नहीं हो पाता क्योंकि विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस समस्या का समाधान वर्तमान में वन्य जीव संभाग के पास उपलब्ध बजट, स्टाफ एवं अन्य संसाधन से सम्भव नहीं है।

श्री जाफर अली पुत्र नवाबअली - मारफत अब्दुल खाँ मौहल्ला जकिया वाला गांव पोस्ट अडिग, जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)-281501 इनका फोन नम्बर 0565-816036 है। निर्देशानुसार लेख है कि भविष्य में उत्पाती बन्दरों को पकड़ने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा इनसे सम्पर्क किया जा सकता है। यदि उत्पाती बन्दरों को पकड़वा कर अन्यत्र छोड़ने के लिये इस कार्यालय की अनुमति आवश्यक हो तो इस कार्यालय द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के नियमान्तर्गत प्रदान की जा सकती है। इन उत्पाती बन्दरों को पकड़ने व अन्यत्र छोड़ने के प्रस्ताव में यह स्पष्ट होना चाहिये कि इन्हें किस क्षेत्र में छोड़ा जावेगा तथा वहाँ पूर्व में कौन-कौन से जानवर मौजूद हैं।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रावैधिक सहायक,
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3( )परिपत्र/तक/मुवजीप्र/92-93/2003 दिनांक 28.3.2000

पूर्व में समय-समय पर दिये गये मार्गदर्शन/निर्देश के बावजूद यह पाया जा रहा है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार करने के लिए कुछ प्रकरणों में केस कम्पाउण्ड करके अपराध में जब्त किये गये हथियारों को भी मुल्जिमों को लौटा दिया जाता है और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं करवाया जाता। इसके कारण अवैध शिकार के अपराधियों के विरूद्ध पर्याप्त कारगर कार्यवाही नहीं हो पाती।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में अवैध शिकार के ऐसे सभी प्रकरणों में, जिनमें हथियार का उपयोग किया गया है, प्रकरण कम्पाउण्ड नहीं किया जावेगा अपितु कोर्ट में चालान किया जावेगा, साथ ही हथियार को संबंधित अपराधी को कतई नहीं लौटाया जावेगा बल्कि संबंधित पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करवाकर हथियार पुलिस को सौंपा जावेगा। ऐसे प्रकरण की सूचना तुरन्त जिला कलेक्टर को देते हुए हथियार का लाईसेन्स निरस्त करने हेतु भी निवेदन किया जावेगा तथा प्रति इस कार्यालय को दी जावेगी।

इसी तरह अवैध शिकार के प्रत्येक ऐसे प्रकरण को, जिसमें दो पहिया/चार पहिया स्वचालित वाहन का उपयोग किया गया हो, कम्पाउण्ड नहीं किया जावेगा बल्कि कोर्ट में चालान पेश किया जावेगा तथा ऐसे वाहनों को राजकीय सम्पत्ति मानते हुए जब्त करने हेतु न्यायालय को निवेदन किया जावेगा।

प्रत्येक मण्डल में दर्ज किए गए वन्य जीव अपराध के प्रकरणों की संबंधित उप वन संरक्षक तथा वन संरक्षक स्तर पर प्रति माह मोनिटरिंग की जावेगी तथा सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रकरण अनावश्यक लम्बित न रहे तथा की गई कार्यवाही उपयुक्त हो। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 13960 दिनांक 26.10.98 के क्रम में जारी।

हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Office of the Additional Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden, Rajasthan, Jaipur letter No. F ()CWLW/Tech./2000/2266-84 dated 31st March, 2000/ 1 April, 2000

Sub.: Entry of concerned MP/MLA's in wildlife sanctuaries.

Sir,

In pursuance of letter No. F.11(35)Forest/97 dated 27 March, 2000 from the Secretary, Forest Department, Government of Rajasthan, Jaipur permission under section 28(1) (d) of the Wildlife Protection Act, 1972 is hereby granted to allow the personal vehicle of the concerned Member of Parliament and Member of Legislative Assembly of the area should he/she wish to visit a sanctuary falling in that area himself / herself, either alone or in the company of his/her family members/friends subject to the following conditions:-

1. All discipline like the park rules, timings etc., will be expected to be observed by the public representatives during such a visit.
2. Whenever required and considered necessary a Forest Department guard/guide would accompany the visitng public representatives in his / her vehicle.
3. Family members / friends of such public representatives must be accompanied by the public representatives concerned.

Yours truly,
Signature/
Additional Principal Chief Conservator of
Forests and Chief Wildlife Warden,
Rajasthan, Jaipur

*(**भावार्थ** : किसी राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में सांसदों व विद्यायकों के निजी वाहनों को प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु उन्हें पार्क/अभयारण्य के नियमों का पालन करना होगा।)*

कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ3( )तकनीकी/मुवजीप्र/2000/2858-2918 दिनांक 21.4.2000

विषय :- वन्य जीव अपराध दर्ज करते समय संबंधित वन्य प्राणी का सही एवं पूर्ण प्रजाति नाम अंकित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि यह पाया जा रहा है कि वन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा वन्य जीव अपराध दर्ज करते समय संबंधित वन्य जीव की प्रजाति का सही नाम अंकित नहीं किया जाता है जैसे किसी भी प्रकार के हिरण के लिए केवल हिरण अंकित कर दिया जाता है, जो कई बार अपराध की गंभीरता में वास्तविकता से भिन्न परिस्थिति उत्पन्न करता है। उदाहरणार्थ, राजस्थान में आम तौर पर काला हिरण (कृष्ण मृग) (ब्लैक बक) तथा चिंकारा (इंडियन गजल) पाये जाते हैं, जो दोनों ही शेड्यूल-1 के वन्य जीव हैं। इनके संबंध में हुए अपराध के बारे में यदि मात्र हिरण शब्द अंकित किया जाता है तो अस्पष्टता के कारण अभिप्रायः चीतल (स्पोटेड डियर) या सांभर से लिया जा सकता है, जो शेड्यूल-3 के वन्य जीव हैं। पहले दो प्रजातियों के संबंध का अपराध नोन-वेलेवल है जबकि बाद के 2 प्रजातियों का अपराध वेलेवल हैं।

अतः लेख है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को तुरन्त निर्देश देने का कष्ट करें कि वे एफ.आई.आर. में प्रजाति का पूर्ण एवं सही नाम अंकित करें, इसके साथ ही वन्य जीवों की संख्या, उपयोग में लाये हथियार, वाहन आदि का पूर्ण विवरण भी एफ.आई.आर. में अवश्य अंकित किया जावे। प्रजाति का नाम अंकित करते समय उसके पश्चात् (शेड्यूल भी अवश्य अंकित किया जावे) उदाहरणार्थ-2 चिंकारा (शेड्यू-1) का

बांराबोर दोनाली बंदूक संख्या .... से शिकार करना जिसमें जीप संख्या .... का उपयोग करना या एक खरगोश (शेड्यूल-3) का टोपीदार बंदूक से शिकार करना।''

अवैध शिकार में उपयोग किये गये हथियार के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत भी अपराध अवश्य दर्ज किया जावे।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ1( )अपराध/मुवजीप्र/99-00/7252 दिनांक 21.7.2000

यह जानकारी में आया है कि वन्यजीवों की मृत्यु के कुछ केसेज में एफ.आई.आर. दर्ज इसलिए नहीं की जाती है कि अवैध शिकार का प्रकरण होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। किसी भी संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र/ राजस्व क्षेत्र में किसी भी शिड्यूल्ड वन्यजीव की मृत्यु की घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उसके संबंध में एफ.आई.आर. अवश्य जारी की जानी चाहिए एवं उसके उपरान्त उस प्रकरण का इन्वेस्टीगेशन (तहकीकात) भी अवश्य किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकरण में यह पाया जावे कि वन्यजीव की मृत्यु का कारण अवैध शिकार नहीं है बल्कि बीमारी/एक्सीडेन्ट/अधिक उग्र/प्रिडेटर द्वारा मारा जाना आदि है तो इसका विस्तृत विवरण दर्शाते हुए उस प्रकरण में एफ.आर. लगानी चाहिए। जहां प्रकरण बीमारी से संबंधित हो तो उसके संबंध में बीमारी का विस्तृत विवरण जानने का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई संक्रामक रोग है तो उसके संबंध में आवश्यक सावधानी बरतने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ11(27)वन/91 जयपुर, दिनांक 31.8.2000

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (सन् 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायक तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम की अनुसूची-III में उल्लेखित नील गाय (*Boselephus tragocamelus*) के संबंध में

उक्त अधिनियम की धारा- II की उप धारा (1) के खण्ड (8) के प्रयोजनों के लिये तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
(लक्ष्मण सिंह)
शासन उप सचिव, वन

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त एवं मुवजीप्र, राज0, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ3(ग)तक./मुवजीप्र/अपराध/99/3026 दिनांक 14.3.2001 निमित, निदेशक, कृषि विस्तार, राजस्थान, जयपुर

विषय :- राजस्थान में कीटनाशक उपचारित बीजों की बुवाई से मोरों के मरने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित किया जाकर निवेदन है कि राजस्थान में कीटनाशक दवाई उपचारित बीजों की दवाई से मोरों के मरने की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, जैसा कि मण्डल वन अधिकारी, अजमेर के पत्र संख्या 310 दिनांक 12.8.2001 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 8.1.2001 को अजमेर जिले की भिनाय तहसील में ग्राम बूबकिया में 20 मोरों की खेतों में डाले गये कीटनाशक दवाई युक्त मक्की के दाने खाने से मृत्यु हुई है तथा उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, दौसा के पत्र क्रमांक 421 दिनांक 15.1.2001 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रेंज बांदीकुई के ग्राम बनापुरा में दिनांक 2.12.2000 से 5.12.2000 तक 3 मोरों की मृत्यु कीटनाशक दवाई युक्त गेहू के बीजों के खाने से हुई है।

अतः आप अपने स्तर से राजस्थान के समस्त उप निदेशक, कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषकों को सुझाव देने हेतु पत्र लिखने का कष्ट करें, जिससे ग्राम पंचायतों की बैठकों में कृषकों को यह समझाईस की जावे कि खेतों में कीटनाशक दवाई उपचारित बीजों के साथ-साथ खेतों के आस-पास सामान्य बीजों (बिना कीटनाशक दवाई आदि के) को चुग्गा के रूप में भी डाला जावे, जिससे मोरों की मृत्यु नहीं होने पावे। मोर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के शिड्यूल्स I का पक्षी है और इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया हुआ है। जिसके मारने एवं मारने हेतु कीटनाशक दवाई आदि का छिड़काव पर पाबंदी है। राजस्थान के गांवों में प्राचीन काल से चली आ रही मोर-चुग्गों की प्रथा को पुनः स्थापित करने हेतु भी ग्राम पंचायतों की बैठकों में कृषक भाइयों को सुझाव दिया जाने का कष्ट करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(ग) परिपत्र/तक.व.जी./मुवजीप्र/92-93/5803 दिनांक 24.9.2002

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम व अनुसूची द्वितीय के पार्ट द्वितीय में सम्मिलित वन्य जीवों के राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं शिकार निषिद्ध क्षेत्रों तथा प्रादेशिक वन मण्डल क्षेत्रों, राजस्व क्षेत्रों में समस्त प्रकार के अवैध शिकार, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन एवं दुर्घटना में मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु होने या अन्य महत्वपूर्ण घटना के संबंध में सूचना अविलम्ब (घटना के 24 घण्टे के अन्दर) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दूरभाष फैक्स द्वारा अवश्य पहुँचाई जावे। साथ ही सम्बन्धित प्रकरण में जो भी कार्यवाही अपेक्षित है, वह बिना अनावश्यक विलम्ब के तुरन्त पूर्ण की जाये। इन शेड्यूल्ड वन्य प्राणियों के शिकार/मारे जाने की परिस्थिति में बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाये एवं मृत शरीर को कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने जलाया जाये एवं इस आशय का पंचनामा बनाया जाये। जहाँ तक सम्भव हो, घाव स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रकार के फोटोग्राफ्स भी लिये जायें।

आपकी जानकारी के लिये अनुसूची प्रथम व अनुसूची द्वितीय के पार्ट द्वितीय से सम्बन्धित कुछ प्रमुख-प्रमुख वन्य जीव निम्नानुसार हैं :-

(1) अनुसूची प्रथम :-

बाघ, बघेरा, चिंकारा, काला हिरण, भेड़िया, शियागोश, मरू लोमड़ी, भेड़िया, रीछ, भालू, मगरमच्छ, घड़ियाल, गोडावन, मोर, साईबेरियन, क्रेन, चौसिंगा आदि।

(2) अनुसूची द्वितीय पार्ट - द्वितीय

सामान्य लोमड़ी, उड़न गिलहरी, सियार (जैकाल), जंगली बिल्ली, उद बिलाव, धामन, इण्डियन कोबरा, किंग कोबरा, रसेल्स वाईपर आदि।

पूर्व परिपत्र संख्या 13968 दिनांक 28.10.98 को निरस्त माना जावे।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Government of Rajasthan, Forest Department ORDER No. F.11(14)Forest/01 Jaipur, Dated 26 Dec., 2002

The matter of regulation of construction activities around Ranthambhore National Park has been under consideration of the State Government for past some time. Keeping in view the recommendations of Kumbhat Committee and the Monitoring & Implementation Committee in this matter and the practical problem of construction activities around the Park, the State Government has decided that criteria for regulation of construction activities near Ranthambhore National Park will be half kilometre distance as recommended by Monitoring & Implementation Committee. The reference point for calculating half kilometre distance will be the outer boundary of the compartments of forest block constituting Ranthambhore National Park (extending even beyond the boundary of National Park) as per the list of number of compartments given in the appendix-I.

The above area will be subject to following restrictions :-

(i) All construction activities in this zone will be banned.

(ii) There will be a total freeze in extension of existing structures. Only in genuine matters relaxation will be granted by the Government in Forest Department on the basis of recommendation of a committee consisting of District Collector, Field Director, Ranthambhore National Park and local executive engineers of PWD.

(iii) Existing land use pattern will not be changed.

(iv) In respect of agriculture land situated within this zone, in rural areas tenent concerned would continue to avail the facilities of Kachha construction for the genuine agriculture needs and related activities as permissible under the Rajasthan Tenancy Act and rules made thereunder.

By order,
Signature/-
(A. K. Garg)
Secretary to the Government

*(**भावार्थ :-** रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की बाहरी सीमाओं से आधा कि.मी. क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियाँ विद्यमान ढांचों के विस्तार पर पूर्णतया निषेध रहेगा)*

Appendix-I

Number of compartments of forests blocks constituting Ranthambhore National Park (extending even beyond the boundary of National Park)

S.No.	Orginal Name of Forest Block	Name as depicted in the Working Plan and Compartment Map	Compartment Numbers forming the boundary adjoining revenue land
1.	9 A Badi line Khandar	Khandar A	1,2,3,6,8,9,12,13,14,15,20, 21,33,34,36,38,39,40
2.	9 B Badi line Khandar	Khandar B	1 to 5
3.	9 C Badi line Khandar	Khandar C	1,2,4,5,6,7,8,9,10
4.	Badi line 6 Main Sawai Madhopur	Sawai Madhopur Main	1 to 8, 19,20
5.	Badi line 6 A Sawai Madhopur	Sawai Madhopur A	28,32,33,35,36,38,39,40, 41,42,43,46,47,48

एम.के.शर्मा, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक डी.ओ. 1-6/2003-पी.टी. दिनांक 20 फरवरी, 2003 मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांकः एफ3(456)परिपत्र/तक./मुवजीप्र/92/मुवजीप्र/92/7344-91 दिनांक 1.4.2003

As you may be aware, time and again, instances of poaching and mortally of wild animals come to light from various States and Union Territories. This Ministry issued several directives for timely updation of all such cases of mortality, apart from ensuring proactive measures towards protection. However, despite this, the mortality / seizure reports relating to wild animals are not conveyed to the Ministry in time, and more often than not, the information percolates through the media, in many cases, the officers-in-charge do not make any inspection also. Needless to add, this creates an embarrassing situation, which leaves a lot to be desired. Since Government of India is providing considerable funding support to States / Union Territories for wildlife Conservation under the various ongoing Centrally Sponsored Schemes, and is committed towards implementing the National Wildlife Action Plan, the following course of action has been decided to deal with the above:-

1. Every instance of Tiger/Leopard/Wild animal mortality or seizure should be communicated to this Ministry (Project Tiger) within 24 hours by the Chief Wildlife Warden of the concerned State/ Union Territory through telephone / fax / email.
2. The officer-in-charge of the Forest Division / Protected Area / Tiger Reserve should make a spot appraisal within 24 hours and report the factual position to the Chief Wildlife Warden concerned, who should send his representative for verification.
3. The postmortem report should always be accompanied by an examination of visceral contents to rule out the possibility of poisoning. In case the carcass is decayed, it should be photographed alongwith a 'Panchnama'.
4. The State Government / Principal Chief Conservator of Forests / Chief Wildlife Warden should send a report to this Ministry within a fortnight.

It is requested that necessary directives in this regard may please be issued to all concerned for strict compliance.

Yours sincerely,
Signature/
(M.K. Sharma)

*(**भावार्थ :** किसी बाघ/तेन्दुआ/अन्य वन्यजीवों की मृत्यु अथवा सीजर के सम्बन्ध में 24 घण्टे में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को देना अनिवार्य होगा। पंचनामे के साथ वन्यजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नत्थी की जानी होगी)*

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )2003/कार्मिक/प्रमुवसं/ 211 दिनांक 17 अप्रैल, 2003

विषय :- जन्तुआलयों के पशु-पक्षियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।

राज्य के जन्तुआलयों के पशु-पक्षियों को नियमित स्वास्थ्य एवं शव परीक्षण कार्य जिन जन्तुआलयों में पशु चिकित्सक तैनात हैं, वहां पर यह कार्य उक्त पशु चिकित्सकों के नियमित रूप से किया जावेगा। राज्य के जिन जन्तुआलयों के लिये पशु चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं होने से पशु चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं, ऐसे जन्तुआलय/वन्य जीव संरक्षण एनक्लोजर्स में पशु-पक्षियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन विभाग के स्थानीय पशु चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त की जावें।

इस कार्यवाही में यदि पशु चिकित्सकों के विद्यमान सवारी भत्ते को लेकर कोई कठिनाई आवे तो सवारी भत्ता बढ़ाये जाने तक विभागीय वाहन से पशु चिकित्सकों को जन्तुआलय/पशु-पक्षी एनक्लोजर तक ले जाया जाकर उनकी सेवाएं प्राप्त की जायें।

इस संबंध में पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सकों को अनावश्यक निर्देश प्रचलित करवाने के संबंध में कार्यवाही भी की जा रही है जो जारी होने पर पृथक से भेजे जावेंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(95)तक/मुवजीप्र/04/12836 दिनांक 2.12.2004

मोर (*Peacock Pheasants*) वन्य जीव(सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम के पार्ट तृतीय का प्राणी है तथा कानून के अनुसार इसको पकड़ना, कब्जे में रखना, किसी भी प्रकार से कैद करके रखना अथवा पालतू बनाकर रखना दण्डनीय अपराध है। इस अपराध के लिये वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 51 के अनुसार कारावास कम से कम 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तथा न्यूनतम 10,000/- रुपये जुर्माना दण्ड होगा।

राज्य के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार मोर पंख के सौदागरों का जाल गांवों तक फैला होना बतलाया है। उनके आदमी बच्चों से मोर पंख एकत्रित कराते हैं और इसमें शिकारी जातियों का भी सहयोग लिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार मोर को पकड़कर पंख उखाड़ने एवं खेतों में जहरीला चुग्गा डालकर मोरों की हत्याएं होने की बात भी कही गई है तथा इस प्रकार की घटना आमतौर पर माह मार्च से जुलाई के मध्य होना बतलाया गया है क्योंकि उस समय इनके पंख अधिक आकर्षक नजर आते हैं। माह अक्टूबर-नवम्बर में ये अपने पंख खुद गिरा देते हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मोर की पूंछ के पंख या उनसे बनी कोई वस्तु को उक्त अधिनियम की धारा 43(3) (ए) के प्रावधानों से मुक्त (Exclude) कर रखा है। किन्तु इन प्रावधानों की आड़ में मोर को पकड़कर / मार कर उनकी पूंछ के पंख कोई नहीं उखाड़े, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में मोर पंख एकत्रित करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाये। इन वन्य जीवों की सुरक्षा में आपका सहयोग आवश्यक है।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(456)परिपत्र/मुवजीप्र/92-93/13497 दिनांक 15.2.2005

राज्य में पाये जाने वाले वन्य जीवों के शिकार पर वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 9 के अनुसार पूर्ण प्रतिबंध है। अतः वन्य जीवों का शिकार गैर-कानूनी एवं अवैध है।

राज्य के कई जिलों में विशिष्ठ अवसरों यथा मकर संक्रान्ति, होली, आखातीज एवं अन्य त्यौहारों के अवसर पर मांसाहारियों द्वारा वन्य जीवों का शिकार करने का प्रयास किया जाता है।

राज्य में वन्य जीव संरक्षण संस्थाओं, वन्य जीव प्रेमियों या व्यक्तियों/स्त्रोतों से किसी स्थान पर वन्य जीव/ जीवों के शिकार होने की सूचना स्थानीय वन अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राप्त होने पर उन्हें तुरन्त मौके पर पहुँचकर वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

ऐसे क्षेत्रों विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में विश्नोई बाहुल्य क्षेत्र, जहां अवैध शिकार की घटना घटित होने पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका रहती हो, में अवैध शिकार की घटना उपरांत जिला प्रशासन/पुलिस के अधिकारियों को भी सूचित किया जावे एवं यथासम्भव उनकी/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वांछित कार्यवाही की जावे।

डाइरेक्टर जनरल पुलिस, राजस्थान द्वारा आई.जी. पुलिस सी.आई.डी. (क्राईम ब्रांच) के नियंत्रण में एक वन्य जीव प्रभाग सेल दिनांक 22.4.2000 से स्थापित की हुई है। वन्य जीव एवं वन सम्पदा से संबंधित अपराधों के लिये जहाँ आवश्यक हो, पुलिस की तुरन्त मदद अवश्य ली जावे।

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची -I तथा अनुसूची - II पार्ट- III में अंकित जीवों के शिकार या अन्य महत्वपूर्ण घटना के संबंध में सूचना अविलम्ब (घटना के 24 घन्टे के अन्दर) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दूरभाष/फैक्स द्वारा अवश्य पहुंचाई जावे।

हस्ताक्षर/-
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(456)तक/मुवजीप्र/05/ 13838 दिनांक 10.3.2005

हाल ही में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वन्य जीवों के अवैध शिकार की घटनायें सामने आयी हैं। इसके लिये अपने-अपने क्षेत्रों में निम्नांकित निर्देशों की पालना कठोरता से सुनिश्चित की जावे :-

1. अवैध शिकार की घटना की सूचना मिलने पर तुरन्त घटना स्थल पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
2. स्टाफ को सतर्क करें कि वह मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे एवं सक्रिय वन्य जीव अपराधियों पर निगरानी रखे तथा अपने क्षेत्र में अवैध शिकार ना होने पाये, इसके लिए पूर्ण सतर्कता बरतें।
3. यह सुनिश्चित करें कि स्टाफ निरन्तर अपने क्षेत्र में नियमित गश्त करें। आवश्यकता अनुसार उड़न दस्तों को तैनात कराई जावे तथा उनको भी सदैव सतर्क रहने एवं गश्त करने के लिये पाबन्द किया जावे।
4. उच्चाधिकारीगण अधीनस्थ वन कर्मियों की गतिविधियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखें एवं समय-समय पर उनके कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करें।
5. यह भी सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई भी अवैध शिकार की घटना नहीं हो।
6. आवश्यकता अनुसार अवैध शिकार की रोकथाम हेतु पुलिस की मदद भी ली जाये।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3(27)परिपत्र/तक/मुवजीप्र/98/1 दिनांक 2.5.2005

हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीवों की खाल, हड्डी, हाथी दांत आदि की वृहद बरामदगी देश के विभिन्न राज्यों में हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि बरामद की गई वन्य जीव सामग्री के स्त्रोत की स्पष्ट जानकारी कर ली जाये ताकि प्रदेश में वन्य जीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई) देहरादून में डी.एन.ए. प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध है और इसका लाभ वन्य जीव संरक्षण हेतु प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के बाघ, बघेरा, चिंकारा, काला हिरण, सांभर व भालू की डी.एन.ए. प्रोफाईल उक्तानुसार प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर ली जावे ताकि भविष्य में बरामद सामग्री का स्त्रोत निश्चित तौर पर अभिलिखित किया जा सके। यह सूचना वन्य जीव सामग्री के अवैध व्यापार व आपराधिक तंत्र की गतिविधियों का पता करने में लाभकारी सिद्ध होगी।

निर्देश दिये जाते हैं कि जब कभी उक्त वर्णित किसी प्रजाति के शव अथवा अवशेष आपके क्षेत्र में मिले तो, अवशेष/मांस/खाल/बाल का एक नमूना तत्काल भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून को डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अनिवार्य रूपेण भिजवाया जावे। यह कार्यवाही शव के संज्ञान मिलने के दो दिन के भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिये और सर्वोत्तम यह होगा कि बालों समेत खाल एवं उसके नीचे के मांस का टुकड़ा रूई में लपेटकर एक लिफाफे में इस प्रकार भेजा जावे कि नमूना मार्ग में क्षतिग्रस्त अथवा विघटित ना हो। नमूने के साथ निम्न सूचना आवश्यक संलग्न हो :-

1. प्रजाति के नाम
2. लिंग
3. मृत्यु का दिनांक
4. प्राप्ति स्थान (निश्चित स्थान, बीट, रेंज, प्रभाग)
5. नमूना संग्रहण की तिथि
6. नमूना संग्रहित करने वाले अधिकारी का नाम
7. शरीर का भाग जिससे नमूना लिया गया है।

आपकी सुविधा हेतु निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून से निवेदन किया गया है कि आप द्वारा भेजे गये नमूने को वे संस्थान के मुख्य द्वार पर तैनात संतरी के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था करा देवें ताकि समय की बचत हो सके।

उक्त सभी प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शैड्यूल-1 में उल्लेखित है तथा नियमानुसार इसकी सूचना आपको राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को भेजने का प्रावधान पूर्व से ही है। वर्तमान आदेश में उल्लेखित प्रक्रिया की पालना को अनिवार्य किया जाता है। अब आपका दायित्व होगा कि प्रथम सूचना के साथ ही यह प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करावें कि अमुक वन्य जीव का अंश भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून को डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा जा चुका है।

हस्ताक्षर/-
(आर.एन.मेहरोत्रा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3 (456)तक/मुवजीप्र/05/ दिनांक 2.6.2005

राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जाये एवं वन्य जीव अपराधियों की पहचान की जाये। ऐसे अपराधी, जो वन एवं वन्य जीवों के शिकार में लिप्त पाये जाते हैं, उनका रेकार्ड रखा जाना आवश्यक है। इसके लिये अपराधियों को दो श्रेणी में बांटा गया है। ऐसे अपराधी जो यदा कदा ही साधारण अपराध करते हैं और दूसरे वो अपराधी जो आदतन रूप से वन्य जीवों के शिकार में लिप्त हैं, इन अपराधियों का नाम, पता एवं फोटोग्राफस रेंज कार्यालय एवं वन मण्डल स्तर पर रिकार्ड में रखे जाने चाहिये एवं इन्हें कार्यालय के बाहरी बोर्ड पर इस तरह चस्पा किया जाना चाहिये जिससे कि आम व्यक्ति को भी इसकी जानकारी हो सके। इससे अपराधी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।यह सभी दस्तावेज रेंज कार्यालय में सदैव तैयार रहने चाहिये। आदेश की पालना अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में तत्काल सुनिश्चित की जाये एवं उच्चाधिकारी (नियन्त्रण अधिकारी) द्वारा इसकी जांच दौरे के समय नियमित रूप से की जावे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर एवं इस कार्यालय से माह फरवरी, 2005 में इस संबंध में परिपत्र जारी कर वन्य जीवों के अवैध शिकार की गतिविधियों को रोकने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश देकर उनकी पालना कठोरता से सुनिश्चित करने के निर्देश

दिये गये थे। माह फरवरी, 2005 से अब तक आप द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये उठाये गये कदमों में अपराधियों पर निगरानी रखने, छापा मारने, नियमित गश्त, उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रगति की समीक्षा पुलिस की मदद आदि के संबंध में किये गये कार्यों का प्रतिवेदन इस कार्यालय को तत्काल भिजवायें।

हस्ताक्षर/-
(आर.एन.मेहरोत्रा)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3(38)तक/मुवजीप्र/2000/828 दिनांक 28.6.2005

राज्य सरकार के पत्र संख्या प.3(12)वन/2005 दिनांक 28.6.2005 से स्वीकृति प्राप्त होने पर वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बाघ परियोजना, सरिस्का को मानसून (वर्षाकाल) में इस वर्ष 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2005 तक व आने वाले वर्षों में भी 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक बंद रखने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

उक्त प्रतिबन्ध अवधि (1 जुलाई से 30 सितम्बर) में पाण्डूपोल जाने वाले पर्यटकों व दर्शनार्थियों के लिये मंगलवार व शनिवार के दिन प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

हस्ताक्षर/-
(आर.एन.मेहरोत्रा)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ24(2)93/पार्ट-8/वसु/प्रमुवसं /6829-6979 दिनांक 14.7.2005

राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जावे एवं वन्यजीव अपराधियों की पहचान की जावे। ऐसे अपराधी, जो वन एवं वन्यजीवों के शिकार में लिप्त पाये जाते हैं, उनका रेकार्ड रखा जाना आवश्यक है। इसके लिए अपराधियों को दो श्रेणी में बांटा गया है। ऐसे अपराधी, जो यदा-कदा ही साधारण अपराध करते हैं और दूसरे अपराधी, जो आदतन रूप से वन्यजीवों के शिकार में लिप्त हैं, ऐसे अपराधियों का रेंज कार्यालय एवं वन मण्डल स्तर पर रिकॉर्ड संधारित किया जावे। आदेश की पालना अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में तत्काल सुनिश्चित की जावे एवं उच्चाधिकारी (नियंत्रण अधिकारी) द्वारा इसकी जांच दौरे के समय नियमित रूप से की जावे

एवं तीन माह में कम से कम एक बार वन्यजीवों की स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्टेट्स रिपोर्ट आवश्यक रूप से अपने उच्च अधिकारी के मार्फत इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग का आदेश क्रमांकः प011(1)वन/78 दिनांक 25.7.2005

इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ11(1)78 दिनांक 17.8.93 का अधिलंघन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर तथा राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों के मारे जाने पर निम्नानुसार मुआवजा/एक्सग्रेशिया राशि का भुगतान किये जाने की दरों के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जन श्रेणी

1.	जन हानि होने पर	रुपये 1,00,000	(सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी होने की शर्त पर)
2.	स्थायी अयोग्य होने पर	रुपये 50,000	
3.	अस्थायी अयोग्य होने पर	रुपये 10,000	

पालतू मवेशियों की श्रेणी

1.	भैंस व बैल	रुपये 5,000
2.	गाय	रुपये 2,000
3.	भैंस व गाय का बच्चा	रुपये 1,000
4.	बकरी/बकरा भेड़	रुपये 300
5.	ऊँट	रुपये 5,000

यह मुआवजा/एक्सग्रेशिया संलग्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अध्यधीन देय होगा एवं निम्न बजट मद से देय होगा-

2406-वानिकी और वन्य जीवन, 02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन, 110-वन्य जीवन परिरक्षण, 01 से 05 रणथम्भौर, सरिस्का वन क्षेत्रों का संधारण, घना पक्षी, राष्ट्रीय मरू उद्यान, 16-लघु निर्माण कार्य (केन्द्रीय परिवर्तित योजना)

उक्त राशि का भुगतान शत-प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजना मद में भारत सरकार से ए.पी.ओ. स्वीकृति के पश्चात् राशि प्राप्त होने पर किया जाता था। परन्तु यदि ए.पी.ओ. स्वीकृति नहीं हुआ है तो भी सी.एस.एस. मद में शेष बची अनुपयोगी राशि में से भी उक्तांकित मद से भुगतान किया जाने की भी एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग के आई.डी. नम्बर 1796 दिनांक 18.6.2005 द्वारा प्रदत्त सहमति के अन्तर्गत जारी की जाती है।

हस्ताक्षर/-
(सी.एस.रत्नासामी)
विशिष्ठ शासन सचिव

राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों में अथवा बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर तथा वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों को मारे जाने पर मुआवजा/एक्सग्रेशिया निम्न शर्तों के अध्यधीन देय होगाः-

जनहानि में मामले में :-

1. घटना की सूचना निकटतम पुलिस अथवा वन अधिकारी को देनी होगी, जिसका निरीक्षण उनके द्वारा ही किया जावेगा।
2. घटना के बारे में शासकीय चिकित्सक का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
3. प्राण हानि में मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
4. मृतक के परिवार के सदस्यों में से विधि मान्य उत्तराधिकारी को ही क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावेगी।
5. यदि व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका उपचार सक्षम चिकित्सा अधिकारी करेंगे तथा प्रमाण पत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि देय होगी। घायल व्यक्ति स्वयं क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. यह मुआवजा राशि ऐसे व्यक्ति को देय नहीं होगी जो हमले के समय वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत किसी अपराध करने हेतु राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रविष्ट हुआ था अथवा किसी स्थल पर वन्यप्राणी संबंधी किसी नियम विरूद्ध कार्य में लिप्त था/सहायक था।
7. मुआवजा/एक्सग्रेशिया राशि का पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जावेगा।
8. मुआवजा/एक्सग्रेशिया के भुगतान हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सक्षम होंगे तथा संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अनुशंषा पर ही मुआवजा एक्सग्रेशिया राशि देय होगी।
9. राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य में वैध रूप से निवास कर रहे तथा इनके आस-पास व बाहर रह रहे किसी ग्रामवासी को शेर, बघेरे या अन्य हिंसक वन्य जीव द्वारा मृत्यु व स्थाई/ अस्थाई रूप से असमर्थ (Incapacitate) करने पर इस आदेश में दर्शायी गयी राशि देय होगी।
10. मृत्यु/घायल (स्थाई/अस्थाई) होने पर सक्षम शासकीय चिकित्सक प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

पशु हानि मामले में :-

1. घटना के 48 घंटे के अंदर सूचना निकटतम वन अधिकारी, जो कि वनपाल या सहायक वनपाल से कम स्तर का ना हो, उनको मवेशी के मालिक द्वारा सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
2. मारे गए मवेशी के शव को घटना स्थल से तब तक नहीं हटाया जावे जब तक घटना की जाँच स्थानीय वन अधिकारी द्वारा नहीं कर ली जाती है तथा उसके मांस में किसी प्रकार का विष अथवा घातक पदार्थ नहीं मिलाया गया हो।
3. अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र के बाहर मारे गये पशुओं को ही मुआवजा देय होगा। इस हेतु सक्षम पशु चिकित्सक का मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
4. मुआवजा राशि का पुनर्भरण बाद में केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जायेगा जहां संभव हो।
5. मुआवजा के भुगतान हेतु मुख्य वन जीव प्रतिपालक सक्षम होंगे।

हस्ताक्षर/-
विशिष्ठ शासन सचिव (वन)

राजस्थान सरकार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प03(2)वन/2004 जयपुर दिनांक 28.7.2005

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त उप धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को इसके द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक;
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक;
3. उप वन संरक्षक / उप निदेशक / उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / उप क्षेत्र निदेशक;
4. सहायक वन संरक्षक / सहायक निदेशक / वन्य जीव प्रतिपालक / सहायक क्षेत्र निदेशक / अनुसंधान अधिकारी

(सी.एस.रत्नासामी)
विशिष्ठ शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ3(433)तक/मुवजीप्र/2005/ दिनांक 18.10.2005

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में लागू करने की मूल जिम्मेदारी सम्बन्धित वन अधिकारियों की है, परन्तु वन्य जीव संभाग के अधिकारियों का कार्य क्षेत्र अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य जिलों का कार्यक्षेत्र भी इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1562 दिनांक 1.2.1999 से निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि प्रादेशिक वन मण्डल के अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले वन्य जीव संरक्षण एवं वन्य जीव अपराधों पर अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही नहीं करके जिम्मेदारी से बचने के लिए, वन्य जीव संभाग के अधिकारियों के पास भेज देते हैं। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1562 दिनांक 1.2.1999 को निरस्त किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.11(5)वन/98 दिनांक 4.3.1999 से समस्त मुख्य वन संरक्षक, समस्त वन संरक्षक, समस्त उप वन संरक्षक, समस्त उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, समस्त क्षेत्र निदेशक एवं समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रयोजनार्थ अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के लिये पदेन वन्य जीव प्रतिपालक, नियुक्त किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप राज्य के प्रत्येक जिले में संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण एवं वन्य जीव से सम्बन्धित अपराधों के संबंध में वांछित कार्यवाही की जिम्मेदारी मूल रूप से उक्त क्षेत्र में कार्यरत प्रादेशिक मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक / परियोजना उप वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की होगी।

आवश्यकता पड़ने पर प्रादेशिक मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक / परियोजना उप वन संरक्षक द्वारा सम्बन्धित जिले के वन्य जीव संभाग के अधिकारियों से सहयोग/सहायता लिया जा सकता है।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

हस्ताक्षर/-
(आर.एन.मेहरोत्रा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः प0( )2006/वसु/प्रमुवसं/1489 दिनांक 21.2.2006

विषय :- बर्ड फ्लू संक्रमण के बचाव हेतु एहतियात बरतने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है कि बर्ड फ्लू संक्रमण महाराष्ट्र के कुछ जिलों में फैलने का समाचार प्राप्त हुआ है, यह एक संक्रामक रोग है एवं साधारणतया पक्षियों के माध्यम से यह संक्रमित होता है। इस दृष्टि से एहतियात के रूप में सभी वनाधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस पत्र विशेष से यह ध्यान में रखें कि जहां-जहां वेट लैण्ड हैं, तालाब, पोण्ड, नहर, नदी, नाले,झीलें आदि जहां पर पक्षियों की आवाजाही रहती है, वहां पर विशेष निगरानी रखी जावे, यदि बड़ी तादाद में उक्त स्थानों पर जिले में पक्षियों की मृत्यु रिपोर्ट होती है तो उसकी सूचना इस कार्यालय को भेजी जावे। मेडिकल परीक्षण माध्यम से यह निश्चित किया जावे कि यह बर्ड फ्लू से संक्रमित तो नहीं है। इस खतरे से निपटने के लिये विशेष एहतियात बरतें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ3(12) तक/मुवजीप्र/2006/2203-05 दिनांक 22.6.2006

विषय :- वन/वन्य जीव अभ्यारण्यों में गिरफ्तार/प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त मुल्जिमों की समुचित निगरानी रखे जाने बाबत्।

महोदय,

सरिस्का में प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त किये गये वन्यजीवों के कुख्यात अपराधी कल्या के वन विभाग की हिरासत से फरार हो जाने की घटना ने विभाग द्वारा ऐसे अपराधियों की निगरानी में अपनाई जा रही खामियों को उजागर कर दिया है। वन/वन्य जीव अपराधों में विभाग द्वारा गिरफ्तार/प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त मुल्जिमों की समुचित निगरानी रखा जाना अति आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वन/वन्य जीव अपराधों में गिरफ्तार मुल्जिमों की समुचित निगरानी हेतु निम्न कदम आवश्यक रूप से उठाये जावें :-

1. गिरफ्तार मुल्जिम की अभिरक्षा हेतु पर्याप्त स्टाफ लगाया जावे एवं मुल्जिम को सुरक्षित रखने हेतु उन्हें उत्तरदायी बनाया जावे।
2. यदि मुल्जिम को रिमाण्ड पर लिया गया है तो जितनी अवधि में मुल्जिम रिमाण्ड पर विभाग के पास है, उस सम्पूर्ण अवधि में मुल्जिम की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मचारी लगाया जावे। रात्रि में भी विशेष निगरानी रखी जावे।
3. जहाँ तक सम्भव हो, रात्रि में मुल्जिम को निकट के पुलिस थाने के लॉक-अप में रखा जावे। यदि कोई कठिनाई हो तो विभागीय लॉक-अप में मुल्जिम को रखा जा सकता है लेकिन मुल्जिम रखने से पूर्व लॉक-अप का सुरक्षा की दृष्टि से भली-भाँति परीक्षण कर लेवें ताकि मुल्जिम के फरार होने की कोई आशंका नहीं रहे।
4. मुल्जिम को खाना, पानी आदि लॉक-अप में ही दिया जावे।
5. मुल्जिम को लॉक-अप में बंद कर लॉक-अप की चाबी क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास सुरक्षित रखी जावे।

6. अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मुल्जिम को न्यूनतम अवधि के लिये विभाग की कस्टडी में रखा जावे अन्यथा मुल्जिम को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जावे।
7. मुल्जिमों के साथ स्टाफ घुले-मिले नहीं केवल औपचारिक संबंध रखें।
8. क्षेत्रीय वन अधिकारी की अनुमति के बिना मुल्जिम को लॉक-अप से बाहर नहीं निकाला जावे। लॉक-अप से बाहर मुल्जिम को निकालते समय पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए।
9. मुल्जिम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किये जावें।
10. मुल्जिम की गिरफ्तारी, विभागीय अभिरक्षा में लेने, न्यायिक हिरासत में भेजने आदि के संबंध में अनुसंधान अधिकारी समय-समय पर कार्यालय अध्यक्ष को सूचित करेंगे।
11. अनुसंधान अधिकारी ऐसे समस्त कदम उठायेगा ताकि मुल्जिम किसी भी परिस्थिति में विभागीय अभिरक्षा से भागने में सफल नहीं होने पावें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ2( )कार्मिक-राज/2005/प्रमुवसं /5333 दिनांक 4.11.2006

राज्य सरकार द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को राज्य में विद्यमान सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रबन्धन को दायित्व निर्धारित किया है परन्तु पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण कतिपय स्थानों में, प्रादेशिक वन मण्डलों में वन्य जीव अभ्यारण्य का दायित्व दिया गया है। ऐसे अभ्यारण्यों की देखरेख करते समय वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के लिये आवश्यक मार्गदर्शन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से प्राप्त किया जाना स्वाभाविक है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वन्य जीव क्षेत्र केवल मात्र राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, वन्य जीव प्रदेश में बहुतायत में वन क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र के बाहर भी पाये जाते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी समस्त वनाधिकारियों की है। अतः वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु एवं वन्य जीव अपराधों की रोकथाम हेतु तत्परता से कार्य करना चाहिये एवं इस संबंध में समय-समय पर समुचित मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश विशिष्ट स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से प्राप्त करना आवश्यक है।

वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में तथा वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों को नियंत्रण में प्रादेशिक स्तर के समस्त उप वन संरक्षक / वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक के द्वारा किये जाने वाले कार्य के बारे में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अपनी टिप्पणी प्रतिवर्ष के अन्त में पृथक रूप से लिख कर गोपनीय रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करेंगे एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा प्रादेशिक अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन /वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (भा.व.से.) में समग्र मूल्यांकन करते समय इसके आधार पर टिप्पणी अंकित की जावेगी।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ3 (456)तक/मुवजीप्र/06/1825 दिनांक 2.1.2007

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम व अनुसूची द्वितीय के पार्ट द्वितीय में सम्मिलित वन्य जीवों के राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों, प्रादेशिक वन मण्डलों एवं राजस्व क्षेत्रों में अवैध शिकार, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन एवं दुर्घटना में मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु होने या अन्य महत्वपूर्ण घटना होने पर इसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दूरभाष/फैक्स द्वारा भिजवाने के निर्देश इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक क्रमशः 5804-48 दिनांक 24.9.2002, 6468-517 दिनांक 18.12.2002, 13498-610 दिनांक 15.2.2005, 561-621 दिनांक 28.5.2005 एवं 3223-278 दिनांक 25.11.2005 से समय-समय पर समस्त वनाधिकारियों को प्रेषित कर पालना सुनिश्चित करने के लिये दिये गये हैं। साथ ही वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम व अनुसूची द्वितीय के पार्ट द्वितीय के वन्य जीवों की उक्तांकित घटनायें होने पर तुरन्त ही वास्तविक स्थिति का एक प्रेस नोट तैयार कर राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के लिये भी निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के उपरान्त भी विभिन्न वन मण्डलों द्वारा अभी तक भी उनके अधीनस्थ होने वाली ऐसी घटना की जानकारी मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नहीं दी जा रही है, जो उचित नहीं है। ऐसी घटना की जानकारी वन अधिकारियों से प्राप्त नहीं होकर समाचार पत्रों के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त होती है। इससे भारत सरकार/ राज्य सरकार को समय पर अवगत कराया जाना सम्भव नहीं होता है और इस कार्यालय को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अतः प्रत्येक वन मण्डल में उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। कृपया इसे आवश्यक समझें। (इस कार्यालय का फैक्स नम्बर 0141-2227836)

हस्ताक्षर/-
(आर.एन.मेहरोत्रा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ3(140) तक-1/मुवजीप्र/06/4209-279 दिनांक 3.5.2007

विषय :- एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ फोरेन्सिक लैबोरेट्री।

महोदय,

राज्य वन एवं वन्य जीव प्रबंधन समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशों के क्रम में महानिरीक्षण पुलिस (नियम) राजस्थान, जयपुर ने राज्य सरकार को अवगत कराया है कि पुलिस विभाग की मुख्य प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर में वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के परीक्षण के लिये वन्य जीव फोरेन्सिक यूनिट प्रारंभ की जा चुकी है। वन्य जीव फोरेन्सिक यूनिट के लिये हाल ही में पुलिस विभाग के नये भवन का निर्माण कराया गया है। वन्य जीवों से सम्बन्धित प्रादर्श (Sample) जैसे बाल, रक्त, अस्थियां, सींग, खुर-नख,हाथी- दांत तथा विसरा के अतिरिक्त ट्राफियाँ,

सजावटी आईटम एवं फैशन से सम्बन्धित वस्तुओं का इस मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में परीक्षण कार्य किया जा रहा है।

अतः आप अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में वन्य जीव अपराधों के संबंध में वन्य जीवों से संबंधित प्रादर्श (Sample) जैसे बाल, रक्त, अस्थियां, सींग, खुर-नख, हाथी-दांत तथा विसरा के अतिरिक्त ट्राफियां, सजावटी आईटम एवं फैशन से सम्बन्धित वस्तुओं को इस मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में ''पुलिस फोरेन्सिक साईन्स लैबोरेट्री, राजस्थान पुलिस अकादमी रोड, पानीपेच चौराहा, नेहरू नगर, जयपुर'' के पते पर परीक्षण हेतु भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वन विभाग का आदेश क्रमांकः प011(1)वन/78 जयपुर, दिनांक 23.6.2007

राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्यजीवों द्वारा जन हानि अथवा घायल किये जाने पर तथा राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों को मारे जाने पर मुआवजा / एक्सग्रेशिया राशि का भुगतान किए जाने की दरों के निर्धारण हेतु पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 25.7.2005 में मुआवजा / एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान हेतु अधिकृत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के स्थान पर अब संबंधित मण्डल के उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी / उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अधिकृत किया जाता है। संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी की अभिशंषा पर ही मुआवजा / एक्सग्रेशिया राशि देय होगी। शेष शर्त आदेश दिनांक 25.7.2005 की यथावत रहेगी।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
(सी.एस.रत्नासामी)
विशिष्ठ शासन सचिव

Navtej Sarna, Joint Secretary (XP), Ministry of External Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi- 110 001 Office Memorandum No. XPR/1213/325/2006 Date 25 June, 2007

Sub.: Streamlining clearance procedure for documentary films by foreign audio-visual agencies.

Several factors have necessitated a revision of the rules and procedures governing the clearance of documentary filming by foreign audio-visual teams. Changes in technology, availability of Indian crews to film on behalf on foreign media organizations and changing nature of the interest in India are some of these factors. It has

been felt therefore that a revision of the procedures with the objective of making them more user-friendly while still taking care of our core concerns may result in encouraging media organizations to follow them, rather than using technological development and consequent ease of filming to subvert the existing system.

2. In the context of the above scenario, XP Division has taken the initiative to overhaul the procedures for clearance of documentary filming by foreigners. Inter-ministerial consultations have been conducted and feedback obtained from Central and State Government agencies. Based on this feedback, the new simplified procedures which would come into immediate effect are summarized below :-

i) Documentaries that do not deal with sensitive subjects/locations will be cleared by External Publicity Division of Ministry of External Affairs. MEA would inform MHA, Ministries / Departments in other State Governments whenever such proposals are cleared. MEA clearance is clearance for a documentary from an external publicity perspective, foreign agencies would be required to obtain, as is the current practice, local clearances wherever necessary such as from ASI, municipalities etc. authorities as per their policy/practice on filming, including preview/payment of fees etc. Permission for aerial photography / filming has to be obtained directly by the producers from the Director General of Civil Aviation. Information on this is available on www.dgca.nic.in/forms.

ii) Indian Missions would issue 'J' visas to the crew with appropriate endorsement subject to usual checks after obtaining clearance from MEA. When applications on such non-sensitive subjects/ locations are received from the foreign producers, Missions may inform the producers that clearance for such documentary would be made available within 2 (two) weeks.

iii) Documentaries on sensitive issues / locations including those involving filming in border/ restricted / protected areas would be processed separately. The list of these sensitive subjects, compiled after inter-ministerial consultations, is at Annexure I. In Such cases, MEA would process clearance from Departments / Ministries concerned. Indian Missions should issue visas for such proposals only after obtaining final MEA clearance. While receiving such proposals Missions may indicate to the producers that clearances could take up to 8 (eight) weeks, though all efforts will be made to complete the process as early as possible.

iv) Several prominent media organizations have been reluctant to sign the undertaking in its present format. In keeping with the spirit of this exercise, and after inter-ministerial consultation, a revised format has now been finalized (Annexure II). The two significant changes concern the role of the Liaison Officer and the process of preview.

3. Proposals forwarded by Missions should contain the following :-

a) A detailed synopsis / treatment of the theme.

b) Details of locations and visit schedule.

c) Details regarding the producers and production company (no need to send copies of passports)

d) Missions's clear recommendation (No proposal will be processed without a definitive recommendation by the Mission)

4. The current practice of sending 10 copies of the proposals alongwith the copies of the passports and visas

should be discontinued. The documentary clearance form and the undertaking is being put up on MEA's website. Filmmakers should be asked to send application by e-mail to the Information Officer of the Mission. A single copy of the proposal with Mission's recommendation may be sent to OSD (PR) by email. A confirmation copy may be sent by bag. In no case, should Mission ask producers or their local agents to directly contact the XP Division before the clearance is issued. Once approval is conveyed to the Mission, the local agents may collect a copy of the same from XP Division to make necssary arrangements in India.

Signature
(Navtej Sarna)
Joint Secretary (XP

*(**भावार्थ** : केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उक्त पत्र से विदेशियों को डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाने की अनुमति देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। गैर संवेदनशील क्षेत्रों में डाक्यूमेंट्री बनाए जाने के प्रकरण विदेश मंत्रालय से क्लीयर होंगे। इस हेतु कतिपय शर्तें आरोपित की गई हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के प्रकरण पृथक से निस्तारित किए जाएंगे। अनुमति हेतु 10 प्रतियों में आवेदन करेंगे व अण्डरटेकिंग देंगे)*

LIST 'B'

DOCUMENTARIES BY FOREIGN AUDIO VISUAL AGENCIES IN INDIA : LIST OF ISSUES REQUIRING PRIOR APPROVAL

(a) Prior approval would be sought in cases where filming is to be carried out in areas requiring RAP/PAP or restricted areas such as border districts, defence installations and other areas of strategic.

(b) Prior clearance of MHA, line Ministries / Departments and the State Governments concerned would also be sought when the proposed documentary deals with the following issues:

- (i) Sensitive political, religious, social or communal issues;
- (ii) India's Foreign Relations;
- (iii) Inter-State relations in India;
- (iv) Defence / security matters,
- (v) Human Rights;
- (vi) Women's issues viz. violence against women trafficking, status of widows and other vulnerable women;
- (vii) Trafficking in chilren viz. Child Labour, child beggars and street children, sexual exploitation of children;
- (viii) Health, including public health, HIV/AIDS, leprosy etc.
- (ix) Female foeticide;
- (x) Juveniles and
- (xi) Environmental issues, including wildlife conservation and animal rights;

UNDERTAKING

With reference to my/our application to make a documentary film in India, I / We hereby undertake to abide by the regulations of the Government of India governing the making of such films.

2. I/we agree to attachment of a Liaison Officer during the entire duration of filming in India if the Government of India or a State Government finds it essential to appoint such a Liaison Officer. In the event of a Liaison Officer being appointed, I/We agree to meet the expenses for the travel and stay of the LiaisonOfficer concerned.

3. I/we agree that where archaeological monuments are concerned, we would furnish the application in required proforma with scripts / synopsis of the subject and content of the film and further that the decision of the Archaeological Survey of India on the filming of such monument will be final. I/we further agree that the team will follow the advice of the appropriate officer of the Archaeological Survey of India nearby or on the spot, where so empowered by the appropriate officer.

4. I/we also agree to show the film to a representative of the Government of India, if so requested, at least two weeks before final telecasting / screening, furnishing in advance a full translation in English of the commentary, where required. I / We further agree to work constructively with the Government of India representatives to remove deviations, if any, from the approved treatment / script of the film and thereby achieve a balanced and accurate exposition of the theme.

Signature of the Producer

Place :

Date :

Signature of Leader of the Team

Government of India, Ministry of Environment & Forests (Wildlife Division), Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 letter No.1-9/2001 WL-1 dated 26th October, 2007

Sub.: Order of Hon'ble Supreme Court dated 14th September, 2007 in I.A. No. 1220 in I.A. 548 in Writ Petition (Civil) No. 202/95

Sir,

Kindly refer to this Ministry's letter of even no. dated 7th December, 2005 forwarding a copy of the Order of Hon'ble Supreme Court dated 25th November, 2005 in I.A. No. 1220 in I.A. 548 in Writ Petition (Civil) No. 202/95, pertaining to relaxation of certain activities that can be taken up as per the Management Plan.

In this regard, it is mentioned that Hon'ble Supreme Court vide their order dated 14th September, 2007 has granted further relaxation to the following activities also:-

1. Laying of underground drinking water pipeline upto 4 inch diameter.
2. Laying of 11KV distribution lines for supply of electricity to rural areas.
3. Laying of telephone lines or optical fibre for providing communication facilities in rural areas.
4. Wells, hand pumps, small water tanks etc. for providing drinking water facilities to villagers, who are yet to be relocated from the protected areas.
5. Anganwadies, Government schools and Government dispensaries which are essential for the inhabitants of people who are nearer to these forest areas shall continue and the Government may carry out construction activities in the forest area for the said purposes without there being any cutting or falling of trees.

A copy of the above said order is available at the web page of the Supreme Court [http://judis.nic.in] and can be downloaded from the site.

Yours faithfully,
Signature/
(Dr. Anmol Kumar)
Deputy Inspector General (WL)

*(**भावार्थ** : सर्वोच्च न्यायालय ने कतिपय अन्य विकास कार्यों को प्रबन्ध योजना में सम्मिलित करने की छूट प्रदान की है। इनमें 4'' व्यास की पाइप लाइन, 11 के.वी. की विद्युत वितरण लाइन, टेलीफोन लाइन, ग्रामीणों के लिए पेयजल, आंगनबाड़ी, विद्यालय व औषधालय आदि गतिविधियां शामिल हैं)*

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ3(580)तक-1/मुवजीप्र/2007/5620 दिनांक 1.12.2007

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(2)वन/2007 दिनांक 16.11.2007 से स्वीकृति प्राप्त होने पर वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर को प्रतिवर्ष माह मई व जून अर्थात् वर्ष 2008-09 से पर्यटकों के लिए बन्द रखने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

हस्ताक्षर/-
(आर.एन.मेहरोत्रा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )प्रमुवसं/63/सी दिनांक 27.3.2008

समय-समय पर इस कार्यालय के द्वारा सभी वनाधिकारियों को आगाह किया जाता है कि जिलों से प्रकाशित समाचार पत्रों में वन एवं वन्य जीवों से सम्बन्धित समाचारों के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही सम्पूर्ण सूचना से मुख्यालय को अवगत कराया जावे परन्तु यह देखने में आया है कि इस प्रकार के निर्देशों के बावजूद भी वनाधिकारियों के द्वारा ऐसे समाचार के बारे में जानकारी समय पर मुख्यालय को नहीं दी जाती है, जिसके कारण बहुत से प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वन मंत्री महोदय के कार्यालय द्वारा विभाग से जानकारी चाही जाती है। इस संबंध में मुख्यालय पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है एवं राज्य सरकार को समस्त सूचना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पूर्णतया असमर्थ रहता है।

अतः पुनः आपको इस परिपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में घटना घटित होते ही तत्काल मुख्यालय को दूरभाष, ई-मेल या फैक्स के माध्यम से सूचित करें। यदि किसी प्रकरण के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होती है तो ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाकर सम्बन्धित वनाधिकारी के विरूद्ध विभागीय निर्देशों की अवहेलना तथा लापरवाहिता मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। इसी प्रकार वन क्षेत्र में आग लगने की सूचना, संरक्षित वन्य जीवों की सूची 1 एवं 2 के अन्तर्गत वन्य जीवों के शिकार से सम्बन्धित घटना एवं अन्य जनता से सम्बन्धित घटनाओं के बारे में तुरन्त जानकारी मुख्यालय को दी जावे एवं यदि स्थानीय समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में कोई भी वन मण्डलीय समाचार प्रकाशित होते हैं तो उसकी भी विस्तृत रिपोर्ट 24 घण्टे के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )प्रमुवसं/9484-9624 दिनांक 15.9.2008

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी कर प्रदेश के विभिन्न भागों में ''शिकार निषेध क्षेत्र'' स्थापित किया गया था एवं ऐसे क्षेत्र को सम्पूर्ण रूप से शिकार वर्जित क्षेत्र घोषित करने का प्रयास किया गया था। ऐसे अधिकतर क्षेत्र राजकीय भूमि पर अथवा सामुदायिक भूमि पर स्थित थे। साधारणतया ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा प्रादेशिक तथा वन्य जीव वन मण्डलों के द्वारा वनकर्मियों को तैनात कर की जाती थी। शिकार की घटना होने जाने की स्थिति में वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत शिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियमों में कालान्तर में संशोधन हो जाने से शिकार निषेध क्षेत्र का महत्व ही नहीं रह गया एवं तदुपरान्त प्रादेशिक वन मण्डलों के द्वारा ऐसे क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु पूर्व की गई पर्याप्त व्यवस्था को शिथिल कर दिया गया। वन्य जीव शिकार वर्जित क्षेत्र राज्य की जैव विविधता के संरक्षण के उपयुक्त स्थल थे, अतः ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण पूर्व की भांति पुनः कठोरता के साथ किया जाना आवश्यक है एवं इस दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्रों को वर्तमान प्रचलित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कन्जरवेशन रिजर्व/कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से सभी प्रादेशिक एवं वन्य जीव मण्डलों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का जायजा लेकर तथा जहां भी राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि उपलब्ध हो तो उन क्षेत्रों को वन विभाग में स्थानान्तरित करने के लिये जिला कलेक्टर को लिखते हुए मुख्यालय को सूचित करें। साथ-साथ ऐसे क्षेत्र को कन्जरवेशन रिजर्व घोषित करने के लिये व्यवस्था करें । कन्जरवेशन रिजर्व शुरू करने के बाद इस क्षेत्र की वन्य जीव प्रबन्ध योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाने पर आर्थिक सहायता प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है जिससे कि ऐसे क्षेत्र का प्रभावी ढंग से संरक्षण किया जा सके। इसके साथ ही साथ जहां सामुदायिक भूमि पर शिकार वर्जित क्षेत्र हो, स्थानीय जनता

की सहमति से उक्त क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जावे एवं प्रबन्ध योजना के आधार पर केन्द्र सरकार से सहायता राशि प्राप्त की जा सकेगी। अतः परिपत्र के साथ संलग्न शिकार निषेध क्षेत्र की सूची के अनुसार सम्बन्धित प्रादेशिक एवं वन्य जीव मण्डलों के उप वन संरक्षक मौके का जायजा लेकर उसकी स्टेट्स रिपोर्ट तैयार कर आगामी 3 माह के अन्दर सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत की जावे तथा भविष्य में यदि ऐसे क्षेत्र को कन्जरवेशन रिजर्व/कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया जाना प्रस्तावित है अथवा वन विभाग में लेने के लिये प्रयास किया जा रहा है तो उसका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें जिससे राज्य स्तर पर भी समुचित प्रयास किया जावेगा।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

अवैतनिक वन्यजीव प्रतिपालक के प्रमुख कर्तव्य

''परिशिष्ठ क''

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की किसी क्षेत्र विशेष को राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, गेम रिजर्व या आखेट बंद क्षेत्र घोषित करने के लिए परामर्श देना और उसके लिए सहायता करना।
2. वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव प्रतिपालकों या मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को सुझाव देना।
3. अवैध शिकार करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करना तथा जिलाधीश से सम्पर्क कर उनके शस्त्र के लाईसेन्स रद्द करवाना।
4. राज्य सरकार की वन्य प्राणियों की सुरक्षात्मक प्रचलित योजनाओं के बारे में जन साधारण में व्यापक प्रचार करना।
5. महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए योजना बनाने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या वन्य जीव प्रतिपालक को सुझाव देना।
6. युवा वर्ग में वन्य प्राणियों के प्रति रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करना।
7. राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के समीप कृषि उपज को वन्य जीवों द्वारा पहुँचाये जाने वाले नुकसान की, वन्य जीवों को हानि पहुँचाये बिना, रोकथाम करने के लिय योजना बनाने हेतु सुझाव देना।
8. राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्यों की सीमा में रहने वाले ग्रामीणों को उन सीमाओं के बाहर रहने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित करना, ताकि वे स्वेच्छा से ही सीमा से बाहर रहना पसन्द करें।
9. अवैध शिकार एवं शिकारियों की रोकथाम के लिए गोपनीय सूचना देने पर राज्य सरकार की पुरस्कार देने संबंधी योजनाओं का व्यापक प्रचार करना और ऐसी सूचना देने वालों को पुरस्कार दिलाने में सहायता करना।
10. शैक्षणिक संस्थाओं में वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु पाठ्यक्रम के बारे में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को सुझाव देना।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तथा राज्य सरकार को लोपित होने वाले वन्य प्राणियों के बारे में तुरन्त सूचना देना एवं उनकी सुरक्षा हेतु योजना बनाने में सहायता देना।
12. अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालकों का यह मुख्य कर्तव्य होगा कि वह मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तथा उसके अधीन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता दे, विशेष तौर पर निम्न मामलों में :-

    (1) अवैध शिकार तथा चोरी छिपे वन्य जीवों तथा उनसे सम्बन्धित वस्तुओं पर नियंत्रण करना।

(2) वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत वन्य जीव अपराधों का पता लगाना एवं चालान करवाना।

(3) वन्य जीवों के रहने के प्रवास स्थानों एवं पर्यावरण को नुकसान होने से रोकना।

(4) वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जन साधारण में चेतना उत्पन्न करना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में, जो आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं।

(5) वन्य प्राणियों का सुरक्षा संबंधी कोई भी मामला, जो वन्य जीव सलाहकार मण्डल या मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा समय-समय पर सौंपा जावे।

(6) ये अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोकसेवक माने जावेंगे।